सत्यमेव जयते

॥ गुजरात राज्य ॥

गुजरात राज्य सरकार द्वारा नियुक्त आयुर्वेद विश्वविद्यालय समितिका अहवाल

१९६४

शासन मुद्रणालय—राजकोट

Dhananjayarao Gadgil Library
GIPE-PUNE-106503

अनुक्रमणिका

	पृष्ठ क्रमांक
प्रकरण १—प्रावेशिक	१
प्रकरण २—पूर्वपीठिका	४
प्रकरण ३—आवश्यकता और इष्टता	३
प्रकरण ४—विश्वविद्यालयका कार्यक्षेत्र तथा स्थान	८
प्रकरण ५—विश्वविद्यालयका प्रकार और शिक्षाका माध्यम	१०
प्रकरण ६—विश्वविद्यालय के कार्य	११
प्रकरण ७—विश्वविद्यालय के शासनकी रूपरेखा	१४
प्रकरण ८—वित्तीय व्यवस्था	१६

प्रकरण १

प्रावेशिक

भारतमें उत्पन्न प्राचीन वैद्यकीय शास्त्र आयुर्वेदको उसके असली रूपमें उत्तेजन देने के लिए, अनुसंधान और विस्तार के द्वारा उसका विकास प्राप्त करन के लिए, गुजरात सरकारको लगा कि एक अलग विश्वविद्यालय की स्थापना आवश्यक है या नहीं इसकी जाँच की जाय।

१-२. इस जाँच के लिए गुजरात सरकारने स्वास्थ्य एवं उद्योग विभाग के सरकारी प्रस्ताव क्रमांक ए.डी.आर. १९६३-११०३, ता. १३ फरवरी १९६४ के अनुसार एक समिति नियुक्त की। उपर्युक्त प्रस्ताव निम्न प्रकार है

"आयुर्वेद विद्या को उसके असली स्वरूपमें विकसित करने उत्तेजन देनें, आयुर्वेदके शिक्षण तालीम तथा अनुसधानका स्तर ऊचा उठानें एव उसकी संभावनाओंके पूर्णतम विकासको शक्य बनानें के लिए यह आवश्यक है कि आयुर्वेदक लिए राज्यमें अलग विश्व-विद्यालय स्थापन करनेकी आवश्यक्ता और इष्टता का विचार किया जाय। परिणामस्वरूप सरकारको निम्नलिखित सदस्योंकी एक समिति नियुक्त करनेमें खुशी होती है।"

(१)	श्री ईश्वरभाई जेठाभाई पटेल, उपकुलपति, सरदार वल्लभभाई विद्यापीठ वल्लभविद्यानगर	अध्यक्ष
(२)	श्री देवेन्द्रभाई मोतीभाई देसाई, १२, शाहीबाग, अहमदाबाद-४	सदस्य
(३)	वैद्यरत्न पंडित शिवशर्मा, वहारीस्तान, बोमनजी पेटिट रोड खंभाला हिल, बम्बई	सदस्य
(४)	डॉ. प्राणजीवनदास एम. महेता सोलेरियमके सामने, जामनगर	सदस्य
(५)	वैद्य रसिकलाल जेठालाल परीख संजीवनी रोड, अहमदाबाद	सदस्य
(६)	श्री चंद्रशेखर गोपालजी ठक्कुर, युनियन बैंक बिल्डिंग, गोरेगांव (पूर्व) बम्बई	सदस्य
(७)	श्री सोमाभाई ईश्वरभाई पटेल, ९४, सरदार पटेल कोलोनी, अहमदाबाद-१४	सदस्य
(८)	डॉ. डी. आर. वैद्य आयुर्वेद नियामक, अहमदावाद	सदस्यसचिव

समितिके अध्ययनके विषय निम्न प्रकार रहेंगे :—

(अ) राज्यकक्षा पर, विभागीय कक्षा पर अथवा राष्ट्रीय कक्षा पर आयुर्वेद विश्वविद्यालयकी स्थापना की आवश्यक्ता और इष्टताका विचार किया जाय।

(ब) ऐसे विश्वविद्यालय की सिफारिश की जाय तो उसका स्वरूप, क्षेत्र, संविधान कार्यक्षेत्र और स्थान के बारेमें शिफारिश की जाय।

(क) विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए अपेक्षित खर्च का अहवाल प्रस्तुन किया जाय तथा ईसके लिए आवश्यक पैसेकी व्यवस्था के लिए आवेदनपत्र प्रस्तुत किया जाय।

(ड) शिक्षण तथा परीक्षण के माध्यम के विषय में सिफारिश की जाय।

(इ) विषय से संबंधित अन्य किसी प्रश्नपर विचार किया जाय।

१-३. समितिको प्रार्थना की जाती है कि वह अपना अहवाल हो सके उतना शीघ्र और शक्य हो तो ३१ मार्च १९६४ से पहले प्रस्तुत करे।

१-४.
१-५. } जैसा परिशिष्टमें बताया गया है।
१-६.

१-७. सरकारी प्रस्ताव के अनुसार समितिका कार्यालय आयुर्वेद नियामककी कचहरी, अहमदावाद में शुरू हुआ और समितिकी पहली सभा आयुर्वेद नियामककी कचहरी, अहमदाबादमें ता. २२ फरवरी, १९६४ के रोज हुई।

१-८. (१) पहली सभामें निश्चित किया गया कि समिति की काल-मर्यादा तीन महिने और बढ़ाई जाय।

(२) विश्वविद्यालयकी आवश्यक्ता और स्थापना के संबंधमें एक प्रश्नावली तैयार कर आयुर्वेद में दिलचस्पी रखनेंवाले सज्जनों, सामाजिक कार्यकरों, जनता के स्वास्थ्य में अभिरूची रखनेवाले मंडलों तथा विश्वविद्यालयों के उपकुलपतियोंको भेजी जाय।

(३) सरकारी प्रस्तावने कार्यके क्षेत्रके संबंधमें समिति की सिफ़ारिश माँगी है। पर समितिको लगा कि राज्यके बाहर का विश्वविद्यालय के कार्यक्षेत्रका विस्तार आंतर-राज्य समझौतेकी अपेक्षा रखता है। अतः विभागीय कक्षा या राष्ट्रीय कक्षा पर एसे विश्वविद्यालय की स्थापना आवश्यक है या नहीं यह प्रश्न राज्य सरकार उठाय और समिति अपनी विचार-मर्यादाओंमें गुजरात राज्यका ही विचार करे तथा उस प्रकार सिफारिशे करे। इन सिफारिशोंकी भूमिका पर उचित लगे तो राज्य सरकार अन्य सरकारों अथवा केन्द्रीय सरकारके साथ चर्चा कर उचित कार्रवाई करे।

(४) समिति राज्यभरमें चलनेंवाले आयुर्वेद विद्यालयोंकी मुलाकात ले और इस मुलाकातके समय आयुर्वेद शिक्षाकी प्रवर्तमान स्थितिका खयाल कर इस विद्याकी उपासनामें जुटे हुअे सबका अभिप्राय प्राप्त करे तथा इसकी संभावनाओंका उनके साथ प्रश्नोत्तरी द्वारा अंदाज लगाअे और ऐसी मुलाकात के प्रसंग पर पहलेसे घोषणा कर इस विषयमें दिलचस्पी लेनेंवाले अथवा ऐसे विश्वविद्यालयकी आवश्यकतामें माननेंवाले सबका सभामिलन द्वारा अभिप्राय प्राप्त करे।

१-६ :-उपर्युक्त निर्णयके अनुसार मार्च महीनेके मध्यमें प्रश्नावली तैयार कर वैद्य-मंडलों, वैद्यों, आयुर्वेद-शिक्षकों और महाविद्यालयों, सामाजिक कार्यकरों तथा शिक्षामें दिलचस्पी रखनेवाले लगभग ५०० व्यक्तियों को भिजवायी गयी थी ।

१-१० :-समितिने निम्न स्थानोंकी मुलाकात ली थी और हर अेक स्थान पर सार्व-जनिक सभाएँ आयोजित की थीं ।

मुलाकातोंका क्रम

क्रमांक	तारीख	स्थल	विद्यालय
१.	११-३-६४	सुरत	नाझर महाविद्यालय
२.	१२-३-६४	बडौदा-नडियाद	आयुर्वेद महाविद्यालय
३.	१९/२०-४-६४	जामनगर	आयुर्वेद महाविद्यालय
४.	९-५-६४	भावनगर	आयुर्वेद महाविद्यालय
५.	१०-५-६४	पोरबंदर	आयुर्वेद महाविद्यालय
६.	११-५-६४	गोंडल-टंकारा	आयुर्वेद महाविद्यालय
७.	१९-५-६४	अहमदाबाद	संजीवनी अस्पताल
८.	१९-५-६४	अहमदाबाद	आयुर्वेद महाविद्यालय

१-११. समितिकी सभी मुलाकातोंके दरम्यान स्थानिक महाविद्यालयोंके आचार्यो, प्राध्यापकों संचालकों,वैद्यमंडलो, वैद्यो, स्वास्थ्यविभागके अधिकारियों, सार्वजनिक सेवकों आदिने समितिके कार्यको मदद मिले तथा उसे अन्य सुविधाएं प्राप्त हों इसके लिये काफी सहायता की है । उन सबके हम आभारी हैं ।

१-१२. खास कर श्री जामसाहेब, श्री मोरारजी देसाई, डॉ. भाईलालभाई पटेल, बडौदा महापालिकाके प्रमुख श्री नानुभाई चोक्सी, उपप्रमुख डॉ. ठाकोरभाई पटेल, सुरतके आयुर्वेद महाविद्यालयके अध्यक्ष श्री पोपावाला, भावनगर नगरपालिकाके नगरपति जैसे नेताओंने समितिको अपने अभिप्रायोंसे वाकिफ करनेका जो कष्ट किया है उसके लिअे उन सबके हम आभारी हैं ।

१-१३. समितिके सदस्य-सचिव- डॉ. वैद्यनें समितिकी मुलाकातोंका आयोजन करनेंमे तथा अन्य सभी कार्योंमें जो कष्ट किया है उसको नोंट करते हुअे हम आनंदका अनुभव करते हैं ।

प्रकरण २

पूर्व पीठिका

मानव-शरीरके साथ जराके समान व्याधि भी अनादि कालसे जुडी हुई है। परिणाम स्वरुप जहाँ जहाँ मानवजाति रही वहाँ वहाँ नित्य जीवनके जाने और अनजाने प्रायोगिक प्रयत्नोंके फलस्वरुप उसने व्याधि नियमन तथा व्याधि उन्मूलनकी पद्धतियाँ अेवं द्रव्य अपनी अपनी स्थानिक परिस्थिति या वनस्पति तथा खनिज द्रव्योंमें से पैदा किये। वेदकालसे बसी हुई आर्य और द्रविड जातियोने इस राष्ट्रमें भी अैसा औषध निर्माण किया जिसे चरक, सुश्रुत, वाग्भट जैसे निष्णाताने ग्रंथस्थ किया और यह विद्या आयुर्वेदके नामसे प्रचलित हुई। इस विद्यामें व्याधि-निरोध व्याधि-नियमन आदि अष्ट अंगोंको व्याप्त किया गया है और सदियोंसे इस राष्ट्रकी वैद्यकीय आवश्यकताओंका वे समाधान करते आ रहे है।

२-२. ब्रिटिशोंके आगमनके पश्चात् तथा अंग्रेजी राज्यकी स्थापनाके बाद जो अनेक पाश्चात्य प्रभाव इस राष्ट्रके जीवन पर पडे तथा पाश्चात्य ज्ञानविज्ञानकी जो आयात हुई उनमें अेलोपैथी अर्थात् पाश्चात्य ढंगकी वैद्यविद्याके प्रचार और प्रसारका प्रारंभ हुआ। उसका शीघ्र प्रभाव तथा उसकी प्रायोगिक विज्ञान-भूमिकाने पश्चिमी ढंगसे पाले-पोसे ऊपरी समाज-स्तरको सकारण आकृष्ट किया। उनकी इस पद्धतिको राज्याश्रय भी प्राप्त हुआ और इसके साधनोंकी आधुनिकताने इसका स्वाभाविक प्रभाव शहरी लोगों पर किया। परिणामस्वरुप राज्याश्रयसे पाला-पोसा और विकसित आयुर्वेद परम्परागत बना। व्यवस्थित शिक्षण, बाकायदा तालीम और आवश्यक अनुसंधानके लाभसे वह वंचित रहा और मौरूसी या गुरुपरंपरागत आयुर्वेद पीढी-दर-पीढी दिया जाता रहा। नित्य नये अनुसंधानोंके कारण निर्माण होनेवाले नये नये शस्त्रोंसे तथा नयी-नयी चिकित्सा पद्धतियों से वह अलग रहा और सुशिक्षित सभ्य समाज उससे दूर जाने लगा।

२-३. फिरभी ग्रामीण विस्तारमें रहनेवाली भारतकी बहुजन प्रजाके लिए यही अेक वैद्यकीय आधार रहा है और आज भी बडे बडे अद्यतन शहरोंमें असाध्य रोगों या अमुक प्रकारके खास रोगोंके लिअे आयुर्वेद उपरी वर्गोंमें भी स्वीकृत रहा है। समितिने गुजरातके शहरोंकी अपनी मुलाकातके दरम्यान शुद्ध आयुर्वेदके व्यवसायिओको मोटरमें घूमते देखा है और यह हकीकत सूचक है। श्री जामसाहेबने तो उनकी समिति के साथ हुई मुलाकातमें बताया था कि जहांतक उनकी माताजी जीवित थी और जहाँतक उनके राजपरिवारमें आयुर्वेदकी उपासना निरंतर रूपसे टिकी रही वहाँ तक किसी भी बडे रोगके दर्शन उनके परिवारमें नहीं हुअे। परन्तु विदेशके साथ संपर्क बढनेसे वहाँकी औषधि-पद्धतिका जबसे आश्रय लेना शुरू किया तबसे रोग और दवा घरकी देहली छोडकर बाहार नहीं जाते। ये उदगार सूचक है और आयुर्वेद-विद्याके सामर्थ्यके निर्देशक हैं। इनमें चाहे कितना भी तथ्य हो परंतु इनमेसे अेक बात अवश्य फलित होती है की प्राचीन कालसे इस देशमें विकसित और नजदीकके भूतकालमें शासकों के उत्तेजनसे वंचित रही हुई यह विद्या उद्धारकी अपेक्षा रखती है।

२-४. इस उद्धारकी प्रक्रिया क्या हो सकती है यह अेक विवादास्पद बात है। ई. स. १९३७ में तत्कालीन बम्बई राज्यमें प्रजासत्ताक मंत्रीमंडल अस्तीत्वमें आया तबसे वैद्य-समाजका स्वीकार कुछ अंशमें शुरु हुआ। और स्वातंत्र्यके पश्चात आयुर्वेदकी शिक्षा तथा प्रसारके लिअे प्रयत्न शुरू हुए। आधुनिक पाश्चात्य वैद्यविद्याके संयोजनके बिना यह प्राचीन विद्या परिणामकारक और प्रभावशाली नहीं होगी इस विचारसे प्रेरित होकर मिश्र अभ्यासक्रमकी उत्पति हुई तथा अनुभवसे ऐसा प्रतित होता है कि इन अभ्यासक्रमोंमें आयुर्वेद तो नाम-मात्र ही रहा है और इस अभ्यासक्रमके जरिये तैयार हुआ युवक त्वरितता तथा आधुनिकतासे चौंधिया कर आयुर्वेदकी उपेक्षा करनेकी प्रवृत्ति ग्रहण करता है।

२-५. गुजरात विश्वविद्यालयमें आयुर्वेदकी अेक शाखा इस प्रयासके अेक अंगके रूपमें शुरू हुई । वैद्यकीय शाखाकी छोटी बहनके रूपमें कार्य करनेवाली यह शाखा कुछ कारणोंसे अपेक्षित कार्यशीलता और प्रभाव पैदा नहीं कर सकी ।

२-६. इसी बीच कई राज्योंमें शुद्ध आयुर्वेदके अभ्यासक्रम पुनर्जीवित होने लगे । केरल, पश्चिम बंगाल, बिहार, राजस्थान आदि राज्योंमें वैद्योंको राज्यस्वीकृति प्राप्त हुई और आयुर्वेदकी शिक्षाकी अलग व्यवस्था बन गई । भारतके योजना-आयोगनें आयुर्वेदको अेक विद्याके रूपमें स्वीकार कर आयोगमें अेक आयुर्वेद सलाहकार की नियुक्ति की । केंन्द्रीय सरकारके स्वास्थ्य विभागने शुद्ध आयुर्वेदिक समितिकी रचना कर आयुर्वेदके अभ्यासक्रमके लिअे "व्यास समिति" की नियुक्ति की । सिलोनकी सरकारने आंतरराष्ट्रीय आयुर्वेद केन्द्रकी स्थापना की और इस समितिके सदस्य पंडित शिवशर्माकी अवैतनिक सलाहकारकें तौर पर नियुक्ति की । अेक हजारके लगभग आयुर्वेदिक चिकित्सालय चलानेवाली राजस्थान सरकारने आयुर्वेदके लिअे अेक अलग मंत्री की नियुक्ति की और आयुर्वेद विश्वविद्यालयकी स्थापनाके लिअे गति प्रदान की । इस संदर्भमें गुजरात सरकारके स्वास्थ्य मंत्री श्री मोहनलाल व्यासजीने इस समितिके उद्घाटन-प्रसंग पर जैसा बताया था उस प्रकार गुजरात सरकारको भी लगा कि गुजरातकी बहुसंख्यक ग्रामीण प्रजाके स्वास्थ्यविषयक विशालकाय प्रश्नको हल करनके लिअे आयुर्वेदका सर्वोतोमुखी उत्थान अेक आवश्यक उपाय है । सौराष्ट्रमें सैंकडो शहरों गाँवों और बस्तियोंके समुहमें प्रजाका प्यार प्राप्त करनेवाले वैद्य परिणामकारक ढंगसे काम कर रहे हैं। इसी प्रकार बनासकांठा, साबरकांठा जैसे अल्पविकसित विस्तारोंमें यही बात है । राज्यके स्वास्थ्यके प्रश्नको परिणामकारक ढंगसे हल करने के लिअे पैसा और मानवशक्तिकी मर्यादाको द्रष्टि समक्ष रखे तो आयुर्वेद आधारशिला जैसा दिखाई देता है । अतः गुजरात सरकारको लगा कि आयुर्वेदके सर्वतोमुखी उद्धार उसकी शिक्षा प्रशिक्षण, विस्तार, तथा अनुसंधानके लिए एक सर्वतोमुखी प्रयास करना हो तो विश्वविद्यालय जैसी एक स्वायत्त संस्था आवश्यक प्रतीत होती है और इस लिअे इस आवश्यकताकी जाँच करने के लिए इस समिति की नियुक्ति की है ।

२-७. समिति को इस विषयकी पूर्वपीठिका की जाँच करते हुए मालूम हुआ कि इ. स. १९५५में तत्कालीन सौराष्ट्र सरकारने जामनगरमें श्री महात्मा गांधी या श्री धन्वन्तरी आयुर्वेद विद्यापीठ स्थापन करनेके लिए विधेयकका मसौदा तैयार किया था । परन्तु इस मसौदे को धौरासभा की मुहर लगे इससे पहले सौराष्ट्रका विलीनीकरण होनेसे वह अमलमें आनेसे रहा । फिर भी महत्त्व की बात यह है कि इस राज्यमें इस प्रकारका एकमात्र आयुर्वेदविद्या के शिक्षण, प्रसार तथा अनुसंधान के लिए प्रयत्न को अपनानेवाला एक विश्वविद्यालय का संकल्प ई.स. १९५५ जितना पुराना था । सौराष्ट्रके इस संकल्पित विश्वविद्यालयका मूल मसौदा इसके साथ परिशिष्ठ (२)में दिया हुआ हैं ।

२-८. हमारी मुलाकात में काफी संख्यामें सज्जनोंने आयुर्वेद जैसी एकमात्र विद्याशाखाको अपनानेवाले विश्वविद्यालयकी कल्पना और उसके विचार के प्रति आश्चर्य व्यक्त किया है । मनमें आये उसे बोल बतानेवाले कुछ स्पष्ट वक्ताओंने हमें यह भी बताया कि राज्य सरकारके इस विभाग के मंत्री महोदय की व्यक्तिगत रूचि या झुकाव के परिणामस्वरूप इस विश्वविद्यालयकी कल्पना पैदा हुई है ।

२-९. इस राज्यमें तथा अन्य राज्योंमें स्वास्थ्य के प्रश्न के संबंधमें आयुर्वेद के स्वीकारकी उपरिनिर्दिष्ट पीठिका हम इस हेतु से प्रस्तुत कर रहे हैं कि आयुर्वेद एक वास्तविक और अनिवार्य वैद्यकीय पद्धति है और गुजरात राज्यमें इसका अनुशीलन करनेवाले मान्य पञ्जीयित वैद्योंकी संख्या ५२३७ है । इतनी बड़ी संख्यामें मानवशरीर के साथ व्यवहार करनेवाले तथा व्याधि उन्मूलन की चेष्टा करनेवाले वर्गको योग्य और आवश्यक ऐसी समर्थ शिक्षा तथा तालीम की व्यवस्था से वंचित रखेंगे तो सिर्फ़ परंपरा पर टिकी हुई यह वैद्यविद्या बहुजन समाज के स्वास्थ्य की दृष्टिसे कितनी उपकारक सिद्ध होगी इसी चिंताने, हम समझते हैं कि राज्य सरकारको आयुर्वेदके विश्वविद्यालयका विचार करने के लिए प्रेरणा दी है ।

प्रकरण ३

आवश्यकता और इष्टता

विश्वविद्यालय के साथ जुडी हुई सामान्य परंपरागत मान्यता यह है कि वहाँ अनेक विद्याशाखाओंमें ज्ञानविज्ञान प्रदान किया जाता है। परिणामस्वरूप हमारे साथ औपचारिक या अनौपचारिक बातचीत के दरम्यान काफ़ी लोगोंनें यह सवाल पैदा किया था कि क्या एक ही विद्याशाखा के लिए विश्वविद्यालयकी संभावना हो सकती है ? रूड़की के स्थापत्य विश्वविद्यालय या पंतनगर के कृषिविद्यापीठ जैसे एक विषयी विद्यापीठ के इस राष्ट्रमें हुए जन्म से अपरिचित और विदेश के ऐसे विद्यापीठों के अस्तित्वसे अनजान इन सबको स्वाभाविक आश्चर्य होगा। क्योंकि विश्वविद्यालय का यह विचार तो एक विद्याशाखा के लिए भी नहीं परंतु वैद्यकीय विद्या के एक ही शास्त्रका विचार करता है। फौरन् यह सवाल पैदा होता है कि क्या आयुर्वेद एक ऐसा विषय है भी जिसमें अध्ययन और अध्यापन, अनुसंधान एवं विस्तरण की इतनी विशाल संभावना भरी पड़ी है जो विश्वविद्यालय जैसी एक विद्यासंस्था के प्रयत्न की अपेक्षा रखती है ? एक क्षणके लिए मान लें कि ऐसी शक्यता संभाव्य है या होगी तो भी इस शक्यता को मूर्तरूप दे ऐसा शिक्षक-वर्ग क्या हमारे पास है ?

३-२. आयुर्वेद के लिए एक अलग विश्वविद्यालय के विचार मात्रसे अपार उत्साहका अनुभव करनेवाले, व्यवसायमें कुशल तथा व्यहार में निपूण वैद्यों को उपर्युक्त प्रश्न किया गया तब शुरूशुरूमें तो वे भी उलझ गये। उन्हे भी लगा कि विद्यापीठ की कल्पना भले गुदगुदी पैदा करती हो परन्तु यह बहुत ही जिम्मेदारी भरी चुनौती के समान है। फिर भी यह चुनौती स्वीकार करने जैसी भी है।

३-३. वर्षोंकी उपासना और अनुभव के परिणामस्वरूप पैदा हुइ इस वैद्यविद्या का अपना एक शास्त्र है यह सामान्य रूपसे सर्वमान्य है। इस शास्त्रको संस्कृत भाषामें सूत्र रूपसे या श्लोक रूपसे ग्रंथस्थ करनेवालोंने अनुभवों के निचोड़ को तथा प्रयोगोंको अंतमें अत्यंत संक्षेपमें पेश किया है। यह ज्ञानजल दीर्घ काल तक बँधा हुआ रहने के कारण अपनी मूल स्फटिक स्वस्च्छता नहीं बताता। संस्कृत के अभ्यास में भाटा आने के साथ आयुर्वेद का अभ्यास भी उतना ही बिगड़ गया और नये जमानें के अद्यतन प्रवाहोंसे बिलकुल दूर रहनेमें पवित्रता माननेवाले प्राचीन-पंथियोंके हाथमें इसके आ जाने से इस शास्त्र की प्रगति और प्रयोगशीलता कुंठित हो गयी। शास्त्रस्थ श्लोकों के अपनी समझके अनुसार किये अर्थो द्वारा इसका अनुशीलन शुरू हुआ और परिणामस्वरूप यह शास्त्र खराब स्थितिमें आ पड़ा।

३-४. फिर भी इस शास्त्र की बुनियाद में रही हुई तपस्या तथा अनुभवामृत एवं इधर-उधर बिखरे पड़े आयुर्वेद के अनन्य उपासकोंके प्रयत्नोंके कारण आयुर्वेद टिका रहा है।

३-५. चरक, वाग्भट, या सुश्रुत प्रणित आयुर्वेद अष्ट अंगोंवाला है। इस हर एक अंगके प्राचीन ज्ञानको अनुसंधान द्वारा जिन्दा कर उसे आधुनिकताकी चमक दे कर उसके सत्यको सम्हालने के बावजूद भी उसे वैद्यक के नूतन प्रवाहों के समकक्ष बनानेका प्रयत्न शायद रोमांचकारी साबित होगा। फिर सुश्रुत के द्वारा सूचित कीये गये शल्य-शालाक्य अर्थात् शस्त्रक्रिया संबंधी निदान, विधान, साधन आदिको इस कालमें उपलब्ध द्रव्यों तथा करामातों द्वारा आधुनिक एवं परिणामकारक बनानेका कार्य भी एक विश्वविद्यालय जैसी संस्था के श्रम तथा ध्यान की अपेक्षा रखता है। फिर आयुर्वेदका औषध-निर्माण व्यक्ति सापेक्ष है। प्रत्येक व्यक्ति अपने आप घोटने की, पीसनेकी, या रगड़नेकी क्रियाएँ करता है। द्रव्य मिश्रण भी सूक्ष्मता और सावधानीकी अपेक्षा रखते हैं। आयुर्वेदका औषध-निर्माण, रसशालाओं और फार्मसियों के द्वारा अभी होने लगा है। फिर भी इन प्रयत्नोंको एकरूपता, शास्त्रीयता, स्वच्छता आदि के निश्चित स्तर प्रदान

करने की आवश्यक्ता है । स्तर-निर्धारण की यह प्रक्रिया अनुसंधान तथा प्रयोगशीलता की अपेक्षा रखती है । आयुर्वेद-विश्वविद्यालय यदि यह कार्य करे और साथ साथ औषध-निर्माण के लिए आवश्यक ऐसा बहुविध वनस्पति-उद्यान निर्माण कर सके तो मानव-जाति के इस दिशा के ज्ञानमें अवश्य वृद्धि दिखाई देगी । इसके अतिरिक्त चिकित्सा एवं निदानमें उत्तरोत्तर क्रम और प्रक्रियाएँ काफी ध्यान की अपेक्षा रखती हैं । इस चिकित्सा के लिए स्टेथोस्कोप या 'क्ष'-किरण जैसे साधन तथा खूनकी जाँच, थूककी जाँच जैसी पृथ्थकरण पद्धतियाँ आदिका समन्वय आयुर्वेद की बुनियाद के साथ कहाँ, कितना और किस प्रकार परिणामकारक ढँगसे किया जाय और इन प्रक्रियाओंको निश्चित कर उन्हें मान्यता देना यह भी अत्यंत आवश्यक कार्य है । इसके अतिरिक्त ऐसी प्रक्रिया या साधनों के बारेमें जो सूचनाएँ आयुर्वेदमें हैं, ऐसा कहा जाता है, उन्हें प्रकाशमें लाकर उनका आधुनिकीकरण कननेंका प्रयास विश्वविद्यालय जैसी संस्था ही सफल रीति से कर सकेगी ऐसा समिति का मत है ।

३-६. समिति की मुलाकात के दरम्यान आयुर्वेद महाविद्यालयों की शिक्षा-सामग्री, उनकी प्रयोगशालाएँ, उनके शिक्षक इन सब बातोंमें निश्चित स्तर, निश्चित तालीम आदिका अभाव होनके कारण एक प्रकार की दरिद्रता दिखाई दी । फिर भी गुजरात के दसों आयुर्वेद महाविद्यालयोंमेंसे बाहर आनेवाले आयुर्वेद स्नातक मानवजीवन के साथ जिस प्रकारकी छूट ले सकते हैं क्या वैसी छट अन्य कोई मेडिकल ग्रज्युएट ले सकता है ? शिक्षण, प्रयोग, निरीक्षण आदि अंगों के स्तर निश्चित करनें तथा ऊँचे बनाने के लिए एक ऐसे प्रयास की आवश्यकता है कि जिसे प्रमाण-भूतता की मुहर हो, प्रतिष्ठाका आधार हो तथा रुतबका तेज हो । इन सबसे महत्त्वकी बात तो यह है कि मानवजीवन के साथ चेष्टा करनवाले इस वैद्यकीय शास्त्र का अनुशीलन करनेवाले भावी स्नातक तेजस्वी और सत्त्वशील होनें चाहिए । आज इन महाविद्यालयोंमें प्रवेश पानेवाले विद्यार्थीयोंमें एक प्रकारकी दीनता दिखाई देती है क्योंकि उनका यह विषयप्रवेश पसंदगी के कारण नहीं बल्कि परिस्थितिकी अनिवार्यता के कारण है । इसके अतिरिक्त प्रवेशके समय उनकी पूर्व-सिध्धियाँ भी इतनी आकर्षक या तेजस्वी नहीं होतीं । तेजस्वी और बुद्धिप्रभावाले युवक तथा युवतियाँ आयुर्वेदविद्याका अध्ययन एवं अनुशीलन करनें के लिए तब तैयार होंगे जब उन्हें शिक्षा और तालीम के पश्चात् विश्वविद्यालय की उपाधिका रूतबा एवं प्रतिष्ठा मिले । ऐलोपथी के स्नातक के समकक्ष एसे आयुर्वेदस्नातक विश्वविद्यालय जैसे उच्च प्रवेश के स्तर पर, उनके जैसे तालीम के स्तर, शिक्षाके स्तर, प्रयोगशालाएँ, पुस्तकालय, शिक्षकोंकी योग्यताएँ इन सबकी अपेक्षा रखते हैं । यह सब उपलब्ध करनें की कोई एक व्यवस्था यदि कहीं दिखाई देती हो तो वह आयुर्वेद के विश्वविद्यालयमें हैं । हमें लगता है कि आयुर्वेद के पुनरुत्थान तथा उसकी प्रतिष्ठाकी स्थापनाका प्रश्न एक गंभीर प्रश्न है । यह राष्ट्र के सर्वांगीण हित के लिए है तथा विश्वविद्यालय जैसी उच्चशिक्षा-स्वायत्त संस्था के रुतबे, प्रतिष्ठा एवं प्रयासकी अपेक्षा रखता है

प्रकरण ४

विश्वविद्यालयका कार्यक्षेत्र तथा स्थान

प्रथम प्रकरणमें जैसा कि हमने निर्देश किया है उसके अनुसार इस विश्वविद्यालयका कार्यक्षेत्र विभागीय रखा जाय या राष्ट्रीय, इसके संबंधमें आवश्यक निर्णय हम राज्य सरकार पर छोड़ देते हैं। पडौसी राज्य राजस्थानने तो अपना आयुर्वेदसहित विद्याओंका एक अलग विश्वविद्यालय स्थापन करनेका विचार किया है। अत: हमें लगता है कि यह प्रश्न मर्यादित बन जाता है। समितिको लगता है कि इस विश्वविद्यालयका कार्यक्षेत्र समग्र गुजरात राज्य रहना चाहिए और इस प्रकार की स्पष्ट धाराविषयक व्यवस्था उसके विधेयक में कर उसे राज्य के अन्य विश्वविद्यालयों के कार्यप्रदेशमें आयुर्वेद के शिक्षण, अनुसंधान और विस्तरणके लिए सर्वाधिकार देनें चाहिए।

४-२. आयुर्वेद विश्वविद्यालयके स्थानके संबंधमें हमारे पास आई हुई सूचनाओंमें अेक सूचना यह थी कि वह स्थान शहरसे दूर हो और शामलाजी, तुलसीश्याम जैसे ग्राम-प्रदेशमें हो। दलील यह थी कि ऐसे स्थान वनस्पति-संवर्धन और अनुसंधानके लिअे आवश्यक शांतिकी द्रष्टिसे योग्य होंगे। इस सूचनामें कुछ को खर्च, व्यवहारसुलभता तथा विशाल संपर्ककी द्रष्टिसे न्यूनता दिखाई देनेकी संभावना है।

४-३. दूसरी सूचना राजपीपलाके महाराजके राजमहल और विशाल उद्यानकी उपलब्धताकी शक्यताकी जाँच कर यह विश्वविद्यालय वहाँ स्थापित करनेके संबंधमें थी जिससे पडौसके वनों तथा जंगलोंकी वनस्पति प्रयोग और परीक्षणके लिए सुलभ हो अेवं उद्यान-निर्माण सरल बने। यह सूचना सरकारी कक्षा पर बातचीतकी अपेक्षा रखती है।

४-४. आयुर्वेद महाविद्यालय जहाँ हैं ऐसे स्थानों में या अन्य सूचनाओंमें पोरबंदर, भावनगर, गोंडल, बडौदा, अहमदाबाद, सुरत और जामनगर हैं। गोंडलके श्री चरणतीर्थजीका यह सूचन था कि राजकोट या गोंडलके पास अेक विशाल स्थान पसंद कर वहाँ विश्वविद्यालय स्थापित किया जाय। यह सूचन प्रारंभिक स्थापना-खर्चकी काफी प्रमाणमें अपेक्षा रखता है। उस द्रष्टिसे इसकी जाँच की जाय। समितिको ऐसा लगता है कि राज्य सरकारके द्वारा स्थापित अेक विश्वविद्यालय जहाँ अस्तित्वमें है उस स्थानकी इस विश्वविद्यालय के लिअे पसंदगी कहाँतक की जाय यह विचारणीय प्रश्न है। बडौदा और सूरतका इस द्रष्टिसे विचार करना उचित होगा। शेष, भावनगरका महाविद्यालय सरकारके हाथमें आनेसे भावनगरका तथा अहमदाबादमें लोटस ट्रस्टकी ओरसे स्थापित होनेवाले आयुर्वेद अस्पतालकी द्रष्टिसे अहमदावाद का आकर्षण विचारकी अपेक्षा रखता है। पोरबंदरके बारे में ऐसा कोई विचार करने योग्य लक्षण हमें नहीं दिखाई दिया।

४-५. जामनगर अेक ऐसा स्थान है जहाँ उस के विलिनीकरण पूर्वके शासन-अधिष्ठाताओं-महारानी गुलाबकुंवरबा तथा श्री जामसाहब के आयुर्वेद प्रेमके कारण बरसोंसे आयुर्वेद विद्याकी उपासनाका वह धाम बना है और उनके वित्तीय तथा आनुषंगिक आश्रयके कारण आयुर्वेद विद्याकी शिक्षा विकसित हुई है। इस शिक्षाके लिअे आवश्यक सुविद्यायुक्त भवन, व्याख्यानखंड, सभास्थान, प्रयोगशालाअें, पुस्तकालय, मुद्रणालय, अस्पताल तथा अन्य तैयारी इस प्रकारकी है कि जो विश्वविद्यालयके बीज केन्द्रके लिअे सुयोग्य समझी जाय। राज्य-भरमें आयुर्वेदके अनुसंधान तथा अनुस्नातक शिक्षणकी व्यवस्था केवल जामनगरमें है। इस दिशामें उल्लेखनीय बुनियादी कार्य यहाँ हुआ है। अनुस्नातक शिक्षा और अनुसंधानके लिऐ शिक्षकोंकी उपस्थिति कम आकर्षक नहीं। आज जामनगरका आयुर्वेद-शिक्षाका यह केंन्द्र, भारत सरकार तथा राज्य सरकारके संयुक्त आश्रयसे वार्षिक रुपया ग्यारह लाखकें खर्चसे

आयुर्वेदके शिक्षण और अनुसंधानका काम कर रहा है । संस्थाकी यह सामग्री तैयारी, मकान और सबचल और अचल संपत्ति बिना किसी शर्तके भावी विश्वविद्यालयको सौंपनेके लिअे संस्थाके अधिकृत मंडल तैयार हों और वर्तमान शिक्षकोंकी पसंदगीके बारेमें विश्वविद्यालयको योग्य छूट दे तो विश्वविद्यालयके केन्द्रीय शिक्षणके लिअे अेक सुयोग्य स्थान विश्वविद्यालयको प्राप्त होगा, उपलब्ध सुविधाओंका संस्थाकी स्थापनाकी द्रष्टिसे सर्वोत्तम सदुपयोग होगा और विश्वविद्यालयकी स्थापनाके लिअे मकान आदिकी व्यवस्था हो तवतककी कालावधिका निवारण हो सकेगा । हमे लगता है कि विश्वविद्यालय की स्थापनाके लिअे यह स्थान पसंद किया जाय तो वित्तीय सहायताके लिए संस्थाके आद्यस्थापकोंके साथ की गई बातचीत फलीभूत होनेकी काफी संभावना है।

४-६. उपरी निर्दिष्ट संदर्भोंमें हमारी द्रष्टिसे स्थानके लिअे विचारका प्रारंभ जामनगरसे करना हितावह होगा ।

प्रकरण ५

विश्वविद्यालय का प्रकार और शिक्षाका माध्यम

आयुर्वेदके १० महाविद्यालय अभी राज्यके अलग अलग भागोंमें चल रहे हैं। इन सबका विश्वविद्यालयके साथका संबंध मान ले तो यह विश्वविद्यालय संलग्नता देनेवाला विश्वविद्यालय माना जायेगा और यह महाविद्यालय संलग्नके तौर पर काम करेंगे।

५-२. फिर भी पहले ऊपर हमने निर्देश किया है उसके अनुसार उच्च शिक्षाके विश्व-विद्यालयके स्तरके लिअे योग्य सिद्ध हो ऐसे साधन, सामग्री और शिक्षकोंकी द्रष्टिसे समृद्ध महाविद्यालय अधिक नहीं। फिर इन सब महाविद्यालयोंमें प्रवेश लेनवाले कुल विद्यार्थियोंकी संख्या १९६३-६४ में ३७४ थी और १९६४-६५ में वह ८२३ है। शिक्षण-सामग्रीकी व्यवस्था और शिक्षकोंके स्तरकी द्रष्टिसे जामनगर अपनी अलग विशेषता रखता है। इसके अतिरिक्त इस विद्यालयकी कल्पनाकी बुनियादी अेवं महत्त्वकी शक्ति आयुर्वेदका उद्धार है। इस उद्धारका संकल्प साकार स्वरुप तभी प्राप्त करेगा जब यह विश्वविद्यालय विशेषरूप से अेक केन्द्रीय, शैक्षणिक विश्वविद्यालय हो, जो शिक्षण अनुसंधान अेवं विस्तरणके उसके असली रूपमे हाथमें लेगा।

५-३. इसलिअे हमारी सिफारिश है कि इस विश्वविद्यालयको इसके प्रारंभके वर्षोंमें प्रमुख रूपसे अेक केन्द्रीय शैक्षणिक विश्वविद्यालय रखा जाये और उसे संलग्नताकी धाराकीय व्यवस्था दी जाय। विश्वविद्यालयके स्थापित होनें पर अधिकृत मंडल, शिक्षकोंकी योग्यता शिक्षण-साधन, प्रयोगशालाअे, अस्पताल, ग्रन्थालय, खेल तथा सामूहिक जीवन, इन सबके बारेमें स्तर निश्चित किय जायें और इन स्तरोंकी जो पूर्ति करें उतने ही महाविद्यालयोंको अभी तथा इसके पश्चात संलग्नता दी जाय।

५-४. आयुर्वेदको उसके योग्य रूपमें विकसित करना हो तो इसको ध्येयके रूपमें ग्रहण करनेवाले आयुर्वेद-ज्ञाता इसके ध्येयवादी शिक्षक बने रहें यह जितना आवश्यक है उतना आवश्यक उसमें उत्तम कोटिके युवक-युवतियोंका विद्यार्थीयोंके तौर पर आकृष्ट करना है। इससे विश्वविद्यालयका भविष्य या भावी पीढी सक्षम बनेगी। अतः हमारा सूचन है कि विश्व-विद्यालयके प्रारंभकालमें योग्य विद्यार्थीयोंके लिअे काफी प्रमाणमें शिष्यवृतियोंकी व्यवस्था अवश्य की जाय। इसी प्रकार मान्यता-प्राप्त विद्यालयोंको समृद्ध करनेके लिअे राज्य सरकारको चाहिअे कि उदार अनुदान दे।

५-५. आयुर्वेदका प्रमाणभूत ग्रंथस्थ साहित्य संस्कृत भाषा में होनेके कारण हरअेक आयुर्वेद विद्यार्थीकी संस्कृत भाषाकी समझ अच्छी होनी चाहिअे। फिर भी संस्कृतको माध्यमका स्थान देनेंकी कुछ आयुर्वेद-प्रेमियोंकी सूचनाकी सिफारिश व्यावहारिक और शैक्षणिक कारणोंसे हम नहीं कर सकते। हमें लगता है कि विश्वविद्यालय फिलहाल राज्य सीमित होनेके कारण उसका माध्यम गुजराती रखना चाहिअे और अन्य प्रान्तीय या अन्य भाषाभाषी या कोई विदेशी विद्यार्थी प्रवेश ले तो उसकी अनुकूलताकी द्रष्टिसे, हिन्दी या अंग्रजीकी छूट रखनी चाहिअे।

५-६. आयुर्वेदको समकालीन वैद्यकीय प्रवाहोंके साथ-साथ रखनेके लिअे और आयुर्वेद विद्याके ज्ञानसे शेष दुनियाको परिचित करानेके लिये हमें यह आवश्यक लगा है कि आयुर्वेदके स्नातकोंको अंग्रेजी भाषाकी जानकारी भी प्राप्त करनी चाहिअे। अतः हम सिफारिश करते है कि स्नातककालमें अंग्रेजीको ऐच्छिक विषयके तौर पर पढ़ाया जाय और अनुस्नातक अभ्यासक्रमोंमें वैकल्पिक माध्यमके तौर पर इसका विचार किया जाय। यह सिफारिश, प्रवेशके लिअे अेस. अेस. सी. या उसके समकक्ष परीक्षापास करनेवालेको बाधारूप नहीं सिद्ध होगी तथा ६ वर्षोंके व्यास समितिके अभ्यासक्रमकी नींव पर रचे हुए आयुर्वेद शिक्षणका देश-विदेशमें आकर्षण पैदा करेगी।

प्रकरण ६

विश्वविद्यालयके कार्य

विश्वविद्यालयके सामान्य रूपसे तीन प्रमुख कर्तव्य माने जाते हैं। (१) शिक्षण (२) अनुसंधान और (३) विस्तरण। आयुर्वेदके इस विश्वविद्यालयको इन कर्तव्योंके पालनके अतिरिक्त निम्न क्षेत्रोंमें बुनियादी कार्य करना होगा। इस विश्वविद्यालयमें निर्माणकी भूमिका इस क्षेत्रका कार्य ही खास तौर पर पूर्ण करता है। ये कार्य निम्न प्रकार गिने जा सकते हैं :-

१. औषधि-निर्माण,

२. उद्यान-संवर्धन,

३. वनस्पति-अनुसंधान

४. लोक वैद्यकका संग्रह,

५. पाठ्य पुस्तकोंका निर्माण,

६. आयुर्वेद-शब्दकोष-संकलन.

६-२ इस हर अेक कार्यके संबंधमें अेक संक्षिप्त रूपरेखा हमने नीचे दी है।

(१) **शिक्षण** :—आयुर्वेदके पुनरुद्धारका प्राणप्रश्न उसके शिक्षणकी सक्षम व्यवस्था है। यह शिक्षण प्रवर्तमान मेडिकल फेकल्टीके जैसी कक्षा और स्तर प्राप्त करे तो ही वह लोकादर और जन-प्रतिष्ठा प्राप्त कर लोगोंमें श्रद्धा पैदा कर सकेगा तथा उसे बनाये रख सकेगा। इस हेतुसे इसका स्नातक एवं अनुस्नातक कक्षाका शिक्षण विशेष मेहनत तथा दीर्घ द्रष्टि-युक्त कार्यों की अपेक्षा रखता है।

६-३. उभय कक्षा के शिक्षणका ब्योरेवार आयोजन भी आवश्यक है। इस शिक्षण के परिणामस्वरूप तैयार हुए स्नातक निदान, चिकित्सा और व्याधि उन्मूलनमें कौशल्य प्राप्त करें तथा समाज के लिए उपकारक सिद्ध हो ऐसी धीरता और सजगता के लक्षण उन्हें प्रदान करने चाहिए।

६-४. शिक्षण के साथ परीक्षण हमेशा जुड़ा हुआ रहता है। यह नया विश्वविद्यालय इस संबंधमें मान्य ऐसे नये रास्ते स्वीकृत करे और मात्र वार्षिक विश्वविद्यालयीन परीक्षामें विद्यार्थी द्वारा बताई गई मुख्य रूपसे स्मृतिसूचक लिखित सिद्धिके साथ साथ, व्यावसायिक कौशल्य तथा हस्तकौशल एवं वर्षके दरम्यान के अध्ययन सातत्यको ध्यानमें लेनेकी योजनाका विचार करे। वैद्यविद्याके कौशल्योंकी उत्तमता प्रदान करना इस विश्वविद्यालयका कार्य-ध्येय रखकर इस द्रष्टिसे इसके शिक्षण-परीक्षणकी ब्योरेवार योजना की जाय तथा अनुस्नातक शिक्षाको ठोस बनाकर अनुसंधानकी भूमिका निर्माण की जाय।

६-५(२) **अनुसंधान** :—आयुर्वेदका शास्त्र अपना सर्वतोमुखी विकास तब साध्य करेगा जब उसके प्राचीन ज्ञानका पूर्ण रूपसे स्फुटीकरण होगा और उस ज्ञानको आधुनिकताकी चमक और समन्वय प्राप्त होगा। इन सबके लिए आयुर्वेदके शास्त्रग्रंथ, चरक, सुश्रुत, वाग्भट आदिका संपूर्ण अनुसंधानात्मक अध्ययन कर उनके अधिकृत संस्करण तथा उनके प्रमाणभूत गुजराती रूपान्तर प्रस्तुत करना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त प्राचीन संस्कृत प्रणाली के अनुसार इन शास्त्र-ग्रंथों

पर बीचके समय में जो टीका-टिप्पणियाँ या अन्य संस्कार संस्कृत, प्राकृत या जैनादि साहित्योंमें संग्रहीत हो उनकी खोजकर, उनका स्फुटीकरण कर उसे नये शिष्यपीढीकी सेवामें धरनेका कार्य विश्वविद्यालय से काफ़ी पुरुषार्थ एवं दष्टिकी अपेक्षा रखता है।

६-६. इस कार्यके लिअे सुयोग्य व्यक्तियोंको पसंद कर इस पर उनकी शक्तियोंको केन्द्रित करनेकी जिम्मेदारी विश्वविद्यालयकी होगी।

६-७. (३) **विस्तरण** :—आयुर्वेद व्याधि-उन्मूलन के साथ साथ व्याधि-निरोधका भी संकल्प करता है। व्याधि-निरोधकी आयुर्वेदकी भूमिका मानवकी ऋतुओंके अनुसार दिनचर्या एवं आहार-विहार संबंधमें मार्गदर्शन देती है। आबोहवा और परिस्थिति की दृष्टिसे मानवी स्वास्थ्यके लिए आवश्यक इन चर्चाओंका ग्राम-समाजमें शिक्षण के साथ फैलाव करना यह इस विश्वविद्यालयका प्रसारण-क्षेत्रमें प्रथम कर्तव्य माना जायगा। इसी प्रकार हरएक ऋतुमें और हरएक स्थानमें प्राप्त होनेवाले कंद-मूल, फल-फूल, वनस्पति, पानी आदिके गुण-धर्मोंकी व्यापक जानकारी, उस-उस स्थानके निवासियोंको देकर समाजमें स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता पैदा करनेकी जिम्मेदारी इस विश्वविद्यालयको उठानी चाहिए।

६-८. व्याधि-निरोधके लिए वन-आरोग्यकी अच्छी आदतें और जागरूकता संस्कारित करनेके बाद कुछ व्यापक रोगों के लिए या हैज़ा-प्लेग जैसे संसर्ग फैलाने के प्रसंगमें सामूहिक तीमारदारी के शिबिरों द्वारा लोकसमुदाय के आराम के लिए प्रयत्न करने चाहिए।

६-९. इन और ऐसे विस्तरण कार्यक्रमोंका हेतु प्रजाके मनमें आयुर्वेदकी श्रद्धाको बल-बत्तर करनेका तथा विश्वविद्यालय के शिक्षणको अचूकता प्रदान कर उसे जनकल्याणके साथ जोड़नेका रहेगा।

६-१०. (४) **औषधनिर्माण** :—आयुर्वेदका औषध-निर्माण दीर्घ कालसे मुख्यत: व्यक्ति-लक्षी और लघु-उत्पादक रहा है। प्रत्येक वैद्य अपने लिए आवश्यक गोलियाँ, मिश्रण, दवाइयाँ, भस्म या पाक स्वयं ही तैयार करता है। परिणामस्वरूप इन दवाओंमें एकरूपता या एकसापन का अभाव होनेकी शंका पैदा होती है। हाँ इसमें डाले जानवाले आत्मरसके कारण इस दवाका महत्त्व दूसरी द्रष्टिसे बढ़ जाता है। क्योंकि उसमें वैद्यराज का जीव पिरोया हुआ होता है। फिर भी घोंटनें या पीसनेकी क्रियाओंमें जो वैज्ञानिक स्थिररूपता आवश्यक मानी जाती है उसका अभाव ही इसमे मालूम होता है।

६-११. अभी अभी रसशालाएँ तथा फार्मसियाँ इन दवाओंका, समूहगत या थोक उत्पादन हाथमें ले रही हैं। फिर भी उसमें भी महत्त्वकी क्रियाएँ व्यक्तिलक्षी हैं और वैज्ञानिक शुद्धि या स्वच्छताका स्तर उच्च कक्षा पर पहुँचा है ऐसा नहीं कहा जा सकता।

६-१२. इस पूरी निर्माण-प्रक्रियाको वैज्ञानिकता, संपूर्ण शुद्धि, आरोग्यात्मक परिवर्तन, प्रयोगशील मिश्रण नित्य नवीन औषधियोंका निर्माण आदि प्रदान करना हो और प्रदान करना आवश्यक है तो इस विश्वविद्यालयको यह कार्य हाथमें लेकर उसे वैज्ञानिक भूमिका तथा औषधि-निर्माणका स्तर प्रदान करना चाहिए।

६-१३. **उद्यान संवर्धन** :— वनस्पति तथा वनस्पतिजन्य द्रव्यों पर औषधि-निर्माण के लिए आयुर्वेद के प्रमुख रूपसे निर्भर होनेके कारण तरह-तरहकी वनस्पतियोंको जानकर, परखकर, उनका औषधि द्रष्टिसे परिचय प्राप्तकर, प्रयोगके लिए उसका संवर्धन करना आवश्यक है। हिमालयके वनप्रदेशोंसे लेकर गुजरात के गिर जंगलों या डाँगके वनोंमें खुद-ब-खुद उगनेवाली वनस्पतिका शास्त्रीय संवर्धन कर, उसके औषधियुक्त लक्षण खोजकर, उसके लिए उसका विकास

साधनेकी द्रष्टिसे इस विश्वविद्यालयको उद्यान संवर्धनकी विशिष्ट प्रवृत्ति हाथमें लेनी आवश्यक है। उदाहरणार्थ सर्पगंधा जैसी औषधिपूर्ण वनस्पतिको खास तौर पर यह विश्वविद्यालय संवर्धित करे। इसी प्रकार इन सब वनस्पतियोंका विद्यार्थीयोंको परिचय हो, उनके द्रव्यगुणोंको वे पहचाने और आयुर्वेदकी द्रष्टिसे उन्हे देखते रहें इस हेतुसे ही इस विश्वविद्यालयको ऐसा उद्यान आवश्यक है।

६-१४. **वनस्पति अनुसंधान**:–वनस्पति आयुर्वेदके औषधिद्रव्यकी खान होनेसे तरह तरहकी वनस्पतियोंका प्रयोगात्मक मूल्यांकन आयुर्वेदके नित्य नये विकासकी द्रष्टिसे आवश्यक है। आयुर्वेदको अर्पित इस विश्वविद्यालयको अपने केन्द्रस्थानमें इस विभागको खोलकर, सभी स्थानोंसे सब प्रकारकी वनस्पति प्राप्त कर उसके द्रव्योंकी विविध संभाव्यताएँ जांचकर उन्हे मानवसेवामें प्रस्तुत करना चाहिए। तज्ञ अनुसंधानकर्ता इस अध्ययन में लग जाय, इस स्थानिक संपत्तिका सर्वोत्तम लाभ जनसमाजको मिले ऐसी अभ्यासप्रवृत्ति वे हाथमें ले सकें इस प्रकारकी सुविधाएँ यह विश्वविद्यालय उपलब्ध करें।

६-१५. **लोकवैद्यक-संग्रह** :–आयुर्वेदकी परम्परा जैसे पीढी-दर-पीढी आयुर्वेदके उपासकों या वैद्योंने उनके अनुपातमें संभाल रखी है वैसे ही कौटुंबिक तथा सामाजिक परम्परा द्वारा भी आयुर्वेदका विरसा पीढ़ी-दर-पीढ़ी मिलता रहा है। इस प्रकार लोक-वैद्यककी उपयोगी परम्परा निर्मित हुई है। व्यक्तिगत अनुभवोंके कारण कितनी ही जडीबूटियाँ अक्सीर या इलाज समाजमें प्रचलित बने हैं। जूड़ी-बुखार, बारीका बुखार, पीलिया, आदिके लिए गांव-गांवमें कुछ सिद्ध-गुटिका मिल जाती है। लोकसमाजमें अनुभवके निचोड़मेंसे पैदा हुआ यह वैद्यक-संग्रह शास्त्रीय ध्यानकी अपेक्षा रखता है। इस वैद्यकको संग्रहीत कर उसकी कसौटीकर, उसे जांचकर, उसके सत्व तथा सत्यको परखकर, उसे रोगनिर्मूलनके भगीरथ प्रयत्नमें जोड़नेका काम आयुर्वेद विश्वविद्यालय कर सके और उसे करना चाहिए।

६-१६. **आयुर्वेद-साहित्य-प्रकाशन और पाठ्यपुस्तक-निर्माण** :–आयुर्वेदके संबंधमें अधिकृत साहित्य गुजराती तथा अन्य भाषाओंमें तैयार करनेका काम खास ध्यानकी अपेक्षा रखता है। इस सार्वत्रिक शास्त्रीय साहित्यके साथ-साथ विश्वविद्यालयकी विविध कक्षाओंके लिए योग्य और व्यवस्थित पाठ्यपुस्तकें तैयार करनेका काम भी उतने ही केन्द्रित ध्यानकी अपेक्षा रखता है। आज पाठ्य-पुस्तकोंके क्षेत्रमें आयुर्वेदका शिक्षण विषेश रूपसे संस्कृत ग्रंथोंपर निर्भर करता है। परिणामस्वरूप शिक्षण-संस्कृतके ज्ञानसे सीमित बननेका संभव रहता है। विश्वविद्यालय कक्षाके शिक्षण-आयोजनके प्रसंग पर प्रारंभमें विशेष ध्यान पाठ्यपुस्तकके निर्माण तथा आनुषंगिक साहित्यके प्रकाशन पर देना पड़ेगा।

६-१७. **आयुर्वेद शब्दकोश** :–आयुर्वेदके शब्द और शब्दप्रयोग, उसकी औषधियोंके नाम, रोग, चिकित्सा, निदानदर्शक तत्क्षेत्रीय भाषाप्रयोग, इन सबको निश्चित एवं स्पष्ट अर्थ संदर्भ देकर उन्हें शब्दकोश के स्वरूपमें संग्रहित करना आवश्यक है, जिससे कि आयुर्वेदके शब्दप्रयोगोंको सार्वत्रिक मान्यता और एकरूपता मिले। शब्दकोशका यह कार्य विद्वानोंके खास ध्यानकी अपेक्षा रखेगा और विश्वविद्यालयकी जिम्मेदारियों में प्रमुख स्थान प्राप्त करेगा।

प्रकरण–७

विश्वविद्यालयके शासनकी रूपरेखा

इस विश्वविद्यालयके शासनकी रूपरेखा सामान्य अन्य विश्वविद्यालयों जैसी होगी। एक-विषयी विश्वविद्यालय होनेके कारण इसमें अभ्यास-समितियाँ तथा विद्याशाखाएँ दोनोंको स्थान हो या न हो यह एक विचारणीय प्रश्न है। एसा ही प्रश्न एकेडेमिक काउन्सिल का होगा। हमें ऐसा लगता है कि आयुर्वेदके अष्टांगोंकी द्रष्टिसे हर एक अंगके लिए एक-एक अभ्यास समिति नियुक्त कर उसकी सिफारिशें एकेडमिक काउन्सिल द्वारा सीधी अभिषद के पास प्रस्तुत की जाय तो शासकीय सरलता रहेगी और शैक्षणिक हित भी साध्य होंगे।

कुलपति : राज्यके राज्यपाल ओहदेके आधार पर कुलपति रहेंगे।

उपकुलपति : शिक्षण के साथ जुड़े हुए, अनुभवी एवं दक्ष शासनकर्ता को राज्य सरकार नियुक्त करे। यह पद मानद रखना हितावह है। आयुर्वेदके साथ सीधी तरह जुड़े हुए व्यक्तिकों ही इस पद पर नियुक्त किया जाय इसकी नितान्त आवश्यकता नहीं।

महामात्र : शैक्षणिक-शासनके अनुभवी एवं योग्य सज्जनकी नियुक्ति की जाय।।

अधिसभा : अधिसभाकी रचनामें महाविद्यालयके आचार्य, अनुस्नातक विभागोंके प्रमुख, रसशाला-नियामक उद्यान-संवर्धक, प्रकाशन विभाग के प्रमुख, शिक्षकोंके प्रतिनिधि, वैद्योंके प्रतिनिधि, राज्य के प्रसिद्ध शिक्षण-तज्ञ, विधानसभाके प्रतिनिधि, नियुक्त सदस्य, सरकारके स्वास्थ्य एवं शिक्षण विभाग के संचालक, दोनों विभागों के सचिव, दोनों विभागोंके मंत्री एवं उपमंत्री आदि कुल ४५ सदस्य रखे जायँ।

अभिषद : अभिषद के ग्यारह सदस्य रखे जायँ जिनमें आचार्य, शिक्षक, अनुस्नातक विभाग के प्रमुख, स्वास्थ्य तथा शिक्षण विभाग के प्रमुख, आदिका प्रतिनिधित्व रखा जाय। अभिषद शैक्षणिक तथा शासकीय सभी बातोंमें शासकीय सत्ता धारण करनेवाला मंडल माना जायगा।

एकेडेमिक काउन्सिल : अभ्यासक्रम, शिक्षण के स्तर, शिक्षकोंकी योग्यताएँ, पाठ्य-पुस्तकोंकी स्वीकृति, आदि शैक्षणिक विषयों के संबंधमें अभ्यास समितियोंकी सिफरिशका विचार कर योग्य सलाह यह काउन्सिल अभिषदको देगी।

इस काउन्सिलमें प्रमुखपद पर ओहदे के आधार पर उपकुलपति रहेंगे और इसके सदस्योंमें विभाग के प्रमुख या उस-उस विषय के कोई प्राध्यापक रहेंगे और सदस्यपद सभी महाविद्यालयोंके उस उस विभाग के प्राध्यापकों और अनुस्नातक विभाग के प्रवाचक या व्याख्याताओंको प्राप्त होगा।

बोर्ड ओफ स्पोर्टस एण्ड स्टुडन्ट वेलफेर : विश्वविद्यालयके विद्यार्थीयोंके खेल-कूदकी, सभी प्रकारकी वैद्यकीय जाँच, प्रवासके कार्यक्रम, साथ ही पर्यटन तथा सामाजिक जीवनकी द्रष्टिसे आवश्यक कार्यक्रमोंका आयोजन यह बोर्ड करेगा। अध्यक्षकी नियुक्ति अभिषद करेगी जबकि उसके मंत्री के तौर पर ओहदे के आधार पर विश्वविद्यालय के शारीरिक-शिक्षण संचालक रहेंगे। इस बोर्डके सदस्य के तौर पर सभी अनुस्नातक प्रमुख, आचार्य और अभिषद के द्वारा नियुक्त तीन सदस्य रहेंगे।

रसशाला-नियामक :–इस विश्वविद्यालय के एक आवश्यक अंगके तौर पर रसशाला मानी गई है। अत : उसकी शासकीय व्यवस्था आवश्यक है। रसशालाकी हररोजकी शासकीय बाबतोंमें रसशाला-नियामकको सलाह देने के लिए एक रसशाला-समिति बनायी जाय जिसमें निष्णात वैद्यों, अनुस्नातक प्रमुखों, और आचार्यों के दो-दो प्रतिनिधि रखे जायें। यह समिति उधान-संवर्धन के लिए भी जिम्मेदार रहेगी।

प्रकाशन नियामक :–आयुर्वेद के अधिकृत साहित्य के अनुसंधान, पाठ्य-पुस्तक-निर्माण तथा आयुर्वेद के शब्दकोशका कार्य यह विभाग संभालेगा। इसके नियामक के तौर पर शास्त्रीय संशोधन के एक निष्णात को नियुक्त किया जायगा। उन्हें सलाह और सूचना देनके लिए एक प्रकाशन-समिति रहेगी जिसमें अनुस्नातक प्रमुखों, आचार्यों, शास्त्रज्ञों, और अभिषद के प्रतिनिधि रहेंगे।

विश्वविद्यालय के शासकीय मंडलोंके अधिकारों, कर्तव्यों या रचना के संबंधमें निश्चित ब्योरा देने के बजाय उसके बारेमें स्थूल सूचनाएँ हमने इसलिए दी हैं कि विश्वविद्यालय की योग्यायोग्यता अभी स्वीकृत होनी है। एक बार वह स्वीकार्य हो और स्वीकार्य हो तो किस रूपमें यह निश्चित होने के बाद विश्वविद्यालयकी प्रस्थान समितिको उचित स्वतंत्रता मिले इस हेतुसे हमने इसे बहुत ब्योरेवार ढंगसे स्पर्श नहीं किया।

फिर अन्य विश्वविद्यालयों के शासकीय मंडलों और उनकी रूपरेखाओंके संबंधमें सामान्य प्रणालीगत एकरूपता है। उसके उपरसे ये ब्योरे पूरे करना सरल होगा ऐसा हमें लगता है।

००२:६१.०४,१

प्रकरण ८

वित्तीय व्यवस्था

इस विश्वविद्यालय के संबंधमें समितिकी सिफारिश यह है कि वह केन्द्रस्थानमें शैक्षणिक विश्वविद्यालय रहे और स्नातक-अनुस्नातक स्तर पर शिक्षाको हाथमें ले। इसके अतिरिक्त अनुसंधान तथा विस्तरण के विविध क्षेत्रोंको व्याप्त करे। इसके अतिरिक्त जो अस्तित्वमें हैं या जो भविष्यमें अस्तित्वमें आनेवाले हों ऐसे आयुर्वेद महाविद्यालयोंमेंसे विश्वविद्यालय के द्वारा निश्चित की गई शर्तोंको पूरी करनेवाले महाविद्यालयोंको संलग्नता दे। इन उभय लाक्षणिकताओंको पूर्ण करे इसके लिए निम्न प्रकार आवर्तक और अनावर्तक खर्चकी व्यवस्थाकी हम सिफारिश करते हैं :—

८-२. आवर्तक खर्च (वार्षिक) :-

	रु.
विश्वविद्यालय	५,००,०००
महाविद्यालय	३,००,०००
अनुस्नातक विभाग	३,००,०००
अनुसंधान विभाग	१,००,०००
पाठ्यपुस्तक प्रकाशन	१,००,०००
उद्यान-निर्माण	१,००,०००
रसशाला-निर्वाह	१,००,०००
शिष्यवृत्ति	१,००,०००
अस्पताल	४,००,०००
	२०,००,००० (बीस लाख)

८-३. अनावर्तक खर्च (वार्षिक) :-

१. अस्पताल (दो सौ शय्याएँ)	५०,००,०००
२. परिचारिका निवास	१०,००,०००
३. (अ) कर्मचारियोंके निवास (दो ब्लाक)	६,००,०००
(ब) कर्मचारियों के निवास (छ ब्लाक)	६,००,०००
४. महाविद्यालयका मकान	१०,००,०००
५. अनुस्नातक भवन-अनुसंधान विभाग के साथ	५,००,०००
६. छात्रालय, विद्यार्थीयोंका	३,००,०००
७. छात्रालय, विद्यार्थीनियोंका	१,५०,०००
८. आचार्य, प्राध्यापकों के मकान	४,००,०००
९. खेल-कूदके मैदान, व्यायामशाला सहित	२,००,०००
१०. पुस्तकालय	५,००,०००
११. रसशाला	१०,००,०००
१२. उद्यान-निर्माण	१०,००,०००
१३. जमीन (उद्यान सहित—२ सौ से ३ सौ एकड़)	१०,००,०००
१४. विश्वविद्यालय कार्यालय	६,००,०००
१५. उपकुलपति, महामात्र, कर्मचारियोंके निवास	४,००,०००
१६. उपस्कर तथा साधन-सामग्री	६,००,०००
१७. मुद्रणालय	२,००,०००
	१,५०,५०,००० (एक करोड़, पचास लाख, पचास हजार)

उपरि निर्दिष्ट खर्चकी व्यवस्था के हमारे अंदाजकी बुनियादमें नये सिरेसे हाथमें ली जाने-वाली सभी व्यवस्थाओंकी कल्पना है। विश्वविद्यालय के केन्द्र के लिए मकान, साधन, ग्रंथालय, मुद्रणालय, शिक्षकनिवास, छात्रनिवास, अस्पताल, या मैदान आदि के संबंधमें उपलब्ध कोई भी व्यवस्था अहवाल के प्रकरण ४ में किये गये संकेत के अनुसार सरकारको प्राप्त हो तो अनावर्तक खर्चमें उस अनुपातमें घटाव किया जा सकता है। इसमें विश्वविद्यालयकी स्थापना के लिए अच्छे दानकी बातचीत सफलतापूर्वक हाथमें ली जाय तो प्रारंभिक खर्च उतना कम होगा या उस दानकी रकमका स्थायी न्यास किया जाय तो प्रतिवर्ष के आवर्तक खर्चमें कायमके लिए उस अनुपातमें घटाव होगा।

सिफरिशों एवं सूचनाओंका संक्षिप्त लेखा

प्रस्तुत अहवालमें सिफारिशें और सूचनाएँ दोनों हमनें की हैं। जिन विषयोंके संबंधमें सरकारको अमल करना चाहिए उनके बारेमें सिफारिशें की हैं तथा आयुर्वेद विश्वविद्यालयको जिन पर अमल करना है ऐसे ब्योरेके संबंधमें सूचनाएँ की हैं। उसका संक्षिप्त लेखा निम्न प्रकार दो भागोंमें बताया है।

सिफारिशें—सूचनाएँ

सिफारिश सूचन क्रमांक	परिच्छेद क्रमांक	
१	१-३	राज्यके बाहरका विश्वविद्यालयके कार्यक्षेत्रका विस्तार आंतराज्य समझौतेकी अपेक्षा रखता है। अतः विभागीय कक्षा या राष्ट्रीय कक्षा पर ऐसे विश्वविद्यालयकी स्थापना आवश्यक है या नहीं यह प्रश्न राज्य सरकार उठाये।
२	४-१	इस विश्वविद्यालयका कार्यक्षेत्र समग्र गुजरात राज्य रहना चाहिए और इस प्रकारकी स्पष्ट धारा-विषयक व्यवस्था उसके विधेयकमें कर उसे राज्यके अन्य विश्वविद्यालयोंके कार्यप्रदेशमें आयुर्वेदके शिक्षण, अनुसंधान और विस्तरणके लिए सर्वाधिकार देने चाहिए।
३	४-६	विश्वविद्यालयके स्थानके लिए विचारका प्रारंभ अहवालमें निर्दिष्ट संदर्भोंमें करना चाहिए।
४	५-३	सूचित विश्वविद्यालय अेक केन्द्रीय, शैक्षणिक विश्वविद्यालय रहे और साथ-साथ उसे संलग्नताकी धारा-विषयक व्यवस्था दी जाय।
५	५-३	अधिकृत-मंडल, शिक्षकोंकी योग्यता, शिक्षण-साधन, प्रयोगशालाअे, अस्पताल ग्रंथालय, खेल, सामूहिक जीवन इन सबके बारेमें स्तर निश्चित किये जायँ और इन स्तरोंकी पूर्ति करें उतने ही महाविद्यालयोंको संलग्नता दी जाय।
६	५-४	मान्यता प्राप्त विद्यालयोंको समृद्ध करनेके लिअे राज्य सरकारको चाहिअे कि उदार अनुदान दे जिससे उत्तम कोटीके युवक-युवतीयोंको विद्यार्थियोंके तौर पर आकृष्ट करनेके लिअें शिष्यवृत्तियोंकी व्यवस्था की जाय।
७	५-५	सूचित विश्वविद्यालयका शिक्षण और परीक्षाका माध्यम गुजराती रखा जाय और परप्रान्तीय या परभाषा-भाषी विद्यार्थी प्रवेश ले तो हिन्दी या अंग्रेजीके उपयोगकी छूट उसे दी जाय।
८	५-६	स्नातक-कालमें अंग्रेजीको ऐच्छिक विषयके तौर पर पढाया जाय और अनुस्नातक अभ्यासक्रमोंमें वैकल्पिक माध्यमके तौर पर इसका विचार किया जाय। अेस. अेस. सी. या समकक्ष परीक्षाको उत्तीर्ण करनेवालेको प्रवेश दिया जाय और 'व्यास-समिति'की सिफरिशोंकी नींव पर छः वर्षका अभ्यासक्रम रखा जाय।
९	६-१	शिक्षण, अनुसंधान और विस्तरणके अतिरिक्त औषध-निर्माण, उद्यान संवर्धन, वनस्पति-अनुसंधान, लोकवैद्यकका संग्रह, पाठ्यपुस्तक-निर्माण, आयुर्वेद-शब्दकोश-संकलन आदि क्षेत्रोमें भी बुनियादि काम करना चाहिअे ऐसा हमारा सूचन है।
१०	६-४	वार्षिक परीक्षामें बताई हुई स्मृतिसूचक लिखित सिद्धिके साथ-साथ व्यावसायिक कौशल्य और हथौटी तथा वर्षके दरम्यान के अभ्यासके सातत्यकी गणना करनी चाहिए।

सिफारिश-सूचन क्रमांक	परिच्छेद क्रमांक	
११	६-५	सुयोग्य व्यक्तियोंको पसंद कर शास्त्रग्रंथों का संपूर्ण अनुसंधानात्मक अभ्यास कर उनके अधिकृत संस्करण और प्रमाणभूत गुजराती रूपान्तर कर अन्यत्र संग्रहीत टीका-टिप्पणियों तथा अनुभव-सिंचनोंका अनुसंधानकार्य आवश्यक माना जाय ।
१२	६-७	आबोहवा और परिस्थिति की द्रष्टिसे मानवस्वास्थ्यके लिए आवश्यक ऋतु-अनुसार दिनचर्या का ग्राम-समाजमें शिक्षायुक्त फैलाव सूचित विश्वविद्यालयको करना चाहिए ।
१३	६-७	समाजमें स्वास्थ्यके प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए कंद-मूल, फल-फूल वनस्पति, पानी आदिके गुणधर्मोकी व्यापक जानकारी उस-उस स्थानके लोगोंको देनेकी जिम्मेदारी सूचित विश्वविद्यालयको उठानी चाहिए ।
१४	६-८	व्याधि-निरोधके लिए जनस्वास्थ्यकी अच्छी आदतें और सभानता संस्कारित करनेके बाद कुछ व्यापक रोगोंके लिए या हैजा, प्लेग जैसे संसर्ग फैलानेके प्रसंगमें सामूहिक तीमारदारीके शिविरों द्वारा लोक-समुदायके आरामके लिए प्रयत्न करने चाहिए ।
१५	६-१०	औषधि-निर्माणको वैज्ञानिक, शुद्धि या स्वच्छता के स्तर पर पहुँचानेकी जिम्मेदारी सूचित विश्वविद्यालयकी रहेगी ।
१६	६-११	आयुर्वेदके औषध-निर्माणमें वनस्पति, वनस्पतिजन्य द्रव्य मुख्य होनेके कारण इनके संवर्धनके लिए उद्यान-संवर्धनकी प्रवृत्ति वह हाथमें ले जिससे प्रयोगों और अनुसंधानके द्वारा इन सबका विद्यार्थियोंको परिचय हो और आयुर्वेदकी द्रष्टिसे वे द्रव्य गुणोंको पहचानें ।
१७	६-१२	सब स्थानोंसे सब प्रकारकी वनस्पति प्राप्त कर उनमें द्रव्यकी विविध संभाव्यताओंकी जाँचकर अनुसंधानकी प्रवृत्तिकी आवश्यकता समझकर उस पर अमल करना चाहिए ।
१८	६-१३	लोकवैद्यकका संग्रहकर शास्त्रोक्त रीतिसे उसके सत्य और सत्त्वको परखकर रोगनिर्मूलनके भगीरथ प्रयत्नमें उसे जोडना चाहिए ।
१९	६-१४	आयुर्वेदसे संबंधित अधिकृत साहित्यके प्रकाशन के कामके अतिरिक्त विविध कक्षाओंके लिए व्यवस्थित पाठ्य पुस्तकें तैयार करनी चाहिए ।
२०	६-१५	आयुर्वेदका एक ऐसा समर्थ शब्दकोश तैयार करना चाहिए कि जिससे शब्दों, शब्दप्रयोगों, औषधिनामों, रोगों, चिकित्सा, निदानदर्शक तत्क्षेत्रीय भाषाप्रयोगों को निश्चित और स्पष्ट अर्थसंदर्भमें मान्यता प्राप्त हो ।
२१	७	विश्वविद्यालयके पदाधिकारियों तथा शासकीय रूपरेखाके संबंधमें सिफारिशें ।
२२	८	आवर्तक तथा अनावर्तक खर्चके संबंधमें सिफारिशें ।

परिशिष्ट–१

गुजरात राज्यमें स्थित शुद्ध आयुर्वेदिक विद्यालयोंमें फिलहाल इसके साथ जुडे हुए पत्रकमें जैसा कि बताया गया है, विद्यार्थी पढ रहे हैं ।

जामनगरकी आयुर्वेदिक अनुस्नातक संस्थामें दो सालका अभ्यासक्रम चलता है। फिलहाल इस संस्थामें ४८ विद्यार्थी पढ़ रहे हैं । हर साल २५ नये विद्यार्थियोंको प्रवेश दिया जाता है।

आयुर्वेदका अनुस्नातक अभ्यास करनेवाले विद्यार्थियोंकी संख्या ४८ है ।

शुद्ध आयुर्वेदिक अभ्यासक्रम चलानेवाले आयुर्वेद विद्यालयोंमें अध्ययन करनेवाले विद्यार्थीयोंकी संख्या बतानेवाला पत्रक

अनुक्रम	महाविद्यालयका नाम	पुराना अभ्यासक्रम			नया अभ्यासक्रम			
		प्रथम आयु. प्रवीणमे अध्ययन करनेवाले विद्यार्थीओंकी संख्या	अंतिम आयु. प्रवीणमे अध्ययन करनेवाले विद्यार्थीओंकी संख्या	कुल	आयुर्वेद प्रवेशिकमे अध्ययन करनेवाले विद्यार्थीओंकी संख्या	उपाधि परीक्षा प्रथम वर्षमें अध्ययन करनेवाले विद्यार्थीयोंकी संख्या	कुल	पुराने तथा नये अभ्यासक्रममे अध्ययन करनेवाले कुल विद्यार्थीओकी संख्या
१	२	३	४	५	६	७	८	९
१	शुद्ध आयु. महाविद्यालय, अहमदाबाद	१	६७	६८	४३	२८	७१	१३९
२	शुद्ध आयु. महाविद्यालय, बडौदा	१२	९३	१०५	४७	३९	८६	१९१
३	आर्यकन्या शुद्ध आयु. महाविद्यालय, बडौदा	–	–	–	१४	६	२०	२०
४	शुद्ध आयु. महाविद्यालय, नडियाद	३	१४	१७	२१	१०	३१	४८
५	जे. पी. शुद्ध आयु. महाविद्यालय, भावनगर	१४	५१	६५	३९	१९	५८	१२३
६	ना. म. शुद्ध आयु. महाविद्यालय, पोरबंदर	३	२	५	३५	७	४२	४७
७	महर्षि दयानंद शुद्ध आयु. महाविद्यालय, टंकारा	–	–	–	२०	२८	४८	४८
८	ओ. अेच. नाझर आयु. महाविद्यालय, सुरत	–	–	–	१८	१०	२८	२८
९	शुद्ध आयु. महाविद्यालय, जामनगर	–	–	–	४५	७	५२	५२
१०	श्री बालाहनुमान शुद्ध आयु. महाविद्यालय, लोदरा	–	–	–	५४	२५	७९	७९
	कुल	३३	२२७	२६०	३३६	१७९	५१५	७७५

परिशिष्ट–२

भूतपूर्व सौराष्ट्र सरकारके समयमे उस समयके सौराष्ट्र राज्यके मुख्यमंत्री श्री ढेबरभाइकी सूचनाके अनुसार अलग आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय निर्माण करनेकेलिअे अेक विधेयक तैयार किया गया था जिसका मसौदा इसके साथ लगा हुआ है ।

विधेयक

अध्यापन करनेवाला तथा संबंध करनेवाला अेक आयुर्वेदिक विद्यापीठ सौराष्ट्र राज्यमें स्थापित करना तथा समाविष्ट करना । यह विद्यापीठ श्री महात्मा गांधी, / श्री धन्वन्तरी आयुर्वेदिक विद्यापीठके नामसे ज्ञात होगा ।

चूंकि राज्यको अनुकूलित तथा लागू किये गये समितियोंके पञ्जीयन अधिनियम १८६० के नीचे श्री गुलाबकुंवरबा आयुर्वेदिक सोसायटी, जामनगर नामक अेक समिति पञ्जीयित हुई है और उसका प्रधान उदेश्य आयुर्वेदके ज्ञानको उसके मूल रूपमे, विज्ञानके तौर पर उन्नत करना तथा प्रोत्साहित करना है;

और चूंकी उक्त समितिने अपने अध्यक्षके द्वारा वैधानिक आयुर्वेदिक विश्वविद्याल स्थापित करनेके उदेश्यसे विधानका उपक्रमण करनेकी सरकारको प्रार्थना की है;

और चूंकि श्री महात्मा गांधी / श्री धन्वन्तरी आयुर्वेदिक विद्यापीठ नामसे ज्ञात अेक अध्याप करनेवाला तथा संबद्ध करनेवाला आयुर्वेदिक विद्यापीठ सौराष्ट्र राज्यमें स्थापित करना तथा समाविष्ट करना लाभप्रद है;

भारतीय गणराज्यके छठे वर्षमे एतद् द्वारा निम्न प्रकार अधिनियमित किया जाता है:

प्रकरण १

प्रारंभिक

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ

१. (१) यह अधिनियम श्री महात्मा गांधी, / श्री धन्वन्तरी आयुर्वेद विद्यापीठ अधिनियम, १९५ कहा जायगा ।

(२) यह धारा तत्काल लागू होगी, परंतु इस अधिनियमके शष उपबंधोंमेंसे सब कोई उपबंध उस तारीख या उन तारीखोंसे लागू होंगे जो सरकार राजपत्रमे अधिसूचना द्वा इस विषयमें नियत करेगी ।

परिभाषाएं

२. इस अधिनियममें जब तक संदर्भसे दूसरा अर्थ अपेक्षित न हो तब तक –

(१) 'संबद्धका' अर्थ होगा धारा ५ तथा २३ के नीचे संबद्ध और सजाती पदोंका तदनुरुप अर्थ किया जायगा।

(२) 'महाविद्यालयका' अर्थ होगा उपाधि महाविद्यालय या मध्यमा मह विद्यालय ।

(३) 'उपाधि महाविद्यालय' का अर्थ होगा वह संवद्ध महाविद्यालय जो विश्वविद्यालयकी किसी उपाधिकी योग्यकरी परीक्षाके लिए अपने विद्यार्थीयोंको प्रस्तुत करनेका अधिकार रखता है।

(४) 'छात्रावास' का अर्थ होगा विद्यार्थियोंके लिये निवासका हक्क जो विश्वविद्यालय द्वारा संघृत अथवा मान्यता—प्राप्त हो ।

(५) 'मध्यमा महाविद्यालय' का अर्थ होगा उपाधि महाविद्यालयको छोडकर अन्य संवद्ध महाविद्यालय ।

(६) 'आचार्य' यानी महाविद्यालयका प्रमुख।

(७) 'मान्यता-प्राप्त संस्था' यानी संवद्ध महाविद्यालयके अलावा वह संस्था जिसे अनुसंधान अथवा विशिष्ट अध्ययनके लिय विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त हुई हो ।

(८) पञ्जीवद्ध स्नातक यानी वह स्नातक जो धारा २१ के नीचे बने हुए नियमोंके अनुसार पञ्जीयित हुआ हो ।

(९) 'विनियम' यानी वे विनियम जो धारा २२ के नीचे अभिषदके द्वारा बनाये गये हों :।

(१०) 'नियम, यानी वे नियम जो धारा २१ के नीचे अभिषदकेद्वारा बनाये गये हो ।

(११) 'समिति, यानी श्री गुलाबकुंवरबा आयुर्वेद समिति जामनगर जो राज्यको अनुकूलित तथा लागू किये गये समितियोंके पञ्जीयन अधिनियम १९६० के नीचे पञ्जीयित हुई है ।

(१२) 'शिक्षक' यानी प्राध्यापक, प्रवाचक, व्याख्याता, और कोई भी अन्य व्यक्ति जो विश्वविद्यालयमें शिक्षा प्रदान करता हो इसमें उन अन्य व्यक्तियोंका भी समावेश होगा जो संबद्ध महाविद्यालयमें अथवा मान्यता प्राप्त संस्थामें शिक्षा प्रदान करते हों तथा विनियमोंके अनुसार शिक्षक घोषित किये जा सकते हों ।

(१३) 'विश्वविद्यालय, यानी इस अधिनियम के नीचे स्थापित श्री महात्मा गांधी, / श्री धन्वन्तरी, आयुर्वेद विद्यापीठ ।

प्रकरण २

विश्वविद्यालय

३. (१) विश्वविद्यालयके कुलपति, उपकुलपति तथा अधिसभा और अभिषदके सदस्य तथा वे सभी व्यक्ति जो अेतत् पश्चात ऐसे अधिकारी और सदस्य बनेंगे, एतद्द्वारा श्री महात्मा गांधी, / श्री धन्वन्तरी आयुर्वेद विद्यापीठ नामक निगमनिकायमें तब तक समाविष्ट होंगे जब तक कि वे इस अधिकारपद और सदस्यत्वको धारण करेंगे । **विश्वविद्यालयका समामेलन**

(२) विश्वविद्यालयको शाश्वत उत्तराधिकार रहेगा तथा उसकी एक सा
रहेगी । वह उक्त नामसे व्यवहार करेगा तथा व्यवहृत होगा ।

(३) विश्वविद्यालयकी मुद्रा जामनगरमें रहेगी ।

(४) चल और अचल दोनों प्रकारकी संपत्तिको अवाप्त करने तथा ध
के लिए विश्वविद्यालय सक्षम होगा । जो चल या अचल संपति इसमें निहि
अथवा जिसे उसने अवाप्त किया है उस संपतिको विश्वविद्यालयके प्रयोजनके लिए
बेचने या अन्य प्रकारसे हस्तांतरण करनेका विश्वविद्यालयको अधिकार है तथा इस
के लिए ठेका देने और अन्य सभी आवश्यक वस्तुओंको करनेका उसे अधिकार है

४. ऐसे प्रतिबंधोके अधीन रहते हुअे जो कि इस अधिनियमके उपबन्धोद्वा
किये गये है, इस विश्वविद्यालयके निम्न अधिकार रहेंगे, अर्थात् :-

(१) आयुर्वेदके ज्ञानको उसके मूल रूपमें उन्नत करना तथा
करना आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति तथा संवद्ध विषयोंकी उन शाखाअ
विश्वविद्यालय उचित समझे, शिक्षा अध्यापन तथा प्रशिक्षणका पूर्व प्रबंध
पूर्वोक्त विषयोंमें अनुसंधानके लिअे और उसके ज्ञानकी प्रगति अेवम् प्र
प्रबंध करना ;

(२) ऐसे प्रबंध करना कि जिनसे संवद्ध महाविद्यालय तथा मा
संस्थाएँ अध्ययनके विशेषीकरणको हाथमें ले ;

(३) अध्यापन तथा अनुसंधानके लिए सामान्य भैषज्य--
पुस्तकालय, संग्रहालय और अन्य संभार स्थापित करना तथा उनका आयो

(४) अनुसंधान या विशिष्ट अध्ययनके विभाग तथा संस्थाअे स्था
बनाये रखना अेवम् उनका प्रबंध करना ;

(५) परीक्षाअे लेना तथा उन व्यक्तियोंको उपाधियाँ और
वरेण्यताअें प्रदान करना :--

(अे) जिन्होंने विश्वविद्यालयमें या किसी संवद्ध महाविद
सरकार द्वारा अनुमोदित किसी संस्थामें अंशत: अध्ययनकी
अनुधावन किया हो और विश्वविद्यालय द्वारा विहित परीक्षाअ
किया हो ;

अथवा

(बी) विनियमोंमे विहित शर्तोंके अनुसार जो आयुर्वेदिक
शिक्षक हों तथा जिन्होंने समान परिस्थितियोंमें विश्वविद्यालयकी
उत्तीर्ण किया हो ;

अथवा

(सी) विनियमोंद्वारा विहित शर्तोंके अनुसार जिन्होंने
किया हो ;

(६) विनियमोंमें विहित रीतिसे अनुमोदित व्यक्तियोंको मानार्ह उपाधियाँ या अन्य वरेण्यताएँ प्रदान करना।

(७) प्राध्यापक, प्रवाचक या व्याख्याता अथवा अन्य किसी प्रकारसे विश्वविद्यालयके शिक्षकके तौरपर व्यक्तियोंकी नियुक्ति करना अथवा उन्हें मान्यता देना।

(८) प्रशिक्षणकी विभिन्न पाठचर्याओंके लिए शिक्षाके पाठ्यक्रम निर्धारित करना;

(९) जो विश्वविद्यालय के सदस्य न हों उन व्यक्तियोंके लिए, जैसा कि विश्वविद्यालय निश्चित करे व्याख्यानों तथा पढ़ाईका प्रबंध करना एवम् उन्हें पत्रोपाधि प्रदान करना।

(१०) विश्वविद्यालय के उद्देश्योंको आगे बढ़ानेके लिए जैसा आवश्यक हो उस प्रकार विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारियों तथा संस्थाओंको सहयोग देना;

(११) अनुसंधान-अध्येताओं, विद्यार्थीओं, प्राध्यापकों, वैद्यों, चिकित्सा-व्यावसायिकों तथा आयुर्वेदके अध्ययनमें अभिरुचि रखनेवाले अन्य व्यक्तियोंको व्याख्यान या शिक्षा देनेके लिए अथवा आयुर्वेद के अध्ययनमें अन्य किसी प्रकारसे सहायता देनेके लिए निमंत्रण देना तथा उनका वेतन मानवेतन एवम् अन्य खर्च निश्चित करना।

(१२) विश्वविद्यालयकी आवश्यक्ता के अनुसार प्राध्यापकों, प्रवाचकों व्याख्याताओं तथा अन्य अध्यापकों के पदोंको संस्थापित करना एवम् इन पदों पर व्यक्तियोंकी नियुक्ति करना।

(१३) नियमों तथा विनियमोंके अनुसार अधिछात्रवृत्तियाँ और छात्रवृत्तियाँ संस्थापित करना, प्रदर्शनियाँ आयोजित करना एवम् पदक और पारितोषिक देना;

(१४) छात्रावासोंको चलाना तथा विश्वविद्यालयके द्वारा न चलाये जानेवाले छात्रावासोंको मान्यता देना परंतु जिस तारीखसे यह अधिनियम लागू होगा उस तारीखसे पाँच सालतक किसी भी छात्रावासको इस प्रकारकी मान्यता नहीं दी जायगी।

(१५) विनियमोंद्वारा विहित शुल्कको मांगना तथा उसका स्वीकार करना;

(१६) विश्वविद्यालय के विद्यार्थीयोंके निवास तथा अनुशासनका पर्यवेक्षण एवम् नियंत्रण करना तथा उनके स्वास्थ्य एवम् सामान्य कल्याणको बढ़ानेके लिए प्रबंध करना।

(१७) संस्थापित करना तथा प्रबंध करना:-

(१) प्रकाशन विभाग

(२) भैषज्य विभाग

(३) औद्भिद उद्यान

(४) चिकित्साकीय विभाग।

(१८) आयुर्वेद के विषयमें या अन्य किन्हीं संबद्ध विषयोंमें हस्तलिपियों, पुस्तकों, नियतकालिकों, पुस्तिकाओं, तथा लेखोंका संग्रह, संपादन या प्रकाशन करना तथा इस उद्देश्य के लिए कार्यकी स्थापना करना और मुद्रणालय खोलना एवम् मुद्रक और प्रकाशक के तौरपर काम करना।

(१६) उद्भिद विद्या, जीवशास्त्र, पदार्थविज्ञान, रसायनशास्त्र, चि भेषजसंहिता, पंचकर्म, प्राकृतिक चिकित्सा, योगचिकित्सा विषविज्ञान तथा इतिहास एवम् अन्य संबद्ध विषयों के क्षेत्रमें आपरीक्षण और अनुसंधान का उसे सहायता देना।

(२०) पूर्वोक्त अधिकारोंके आनुषंगिक हो या न हो, एसे सब काम करना जो एक अध्यापन करनेवाली संस्थाकी हैसियतसे विश्वविद्यालय के उ बढ़ाने के लिए तथा आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति और संबद्ध विषयोंकी आवश्यक हो।

अधिकार क्षेत्र तथा विशेषाधिकार के लिए प्रवेश

५. (१) सौराष्ट्र राज्य के अन्तर्गतस्थित कोई भी आयुर्वेदिक संस्था सरक के विना, कायदेसे प्रस्थापित किसी भी अन्य विश्वविद्यालय के साथ किसी भी प्रकार से हो सकती है न ही उसके किसी विशेषाधिकार के लिए अनुमति चाह सकती है।

(२) सौराष्ट्र राज्य के बाहर अवस्थित किसी आयुर्वेदिक संस्था को, तथा सरकारको जो प्रतिबंध एवम् निर्बंध लगाना उचित प्रतित हो उनके अधिन रह विश्वविद्यालय के विशेषाधिकारोंके लिए प्रवेश दिया जायगा।

(३) सौराष्ट्र राज्य के अन्तर्गत किसी भी प्रदेश के लिए इस लागू होना बंद होगा एसा निदेश सरकार राजपत्रमें अधिसूचना के द्वारा दे सकती अधिसूचनामें निर्दिष्ट तारीखको तथा उस तारीखसे उक्त प्रदेशमें स्थित सभी आयु इस विश्वविद्यालय के ग्राम नहीं रहेंगी।

विश्वविद्यालय सभी वर्गों, जातियों, एवम् संप्रदायोंके लिए खुला रहेगा।

६. विश्वविद्यालय किसी भी लिंग, वंश, संप्रदाय अथवा वर्ग के सभी व्यक्ति खुला रहेगा और उसमें अध्यापक या विद्यार्थीके तौरपर प्रवेश पानेके लिए, य पद धारण करनेके लिए या उसके किसी विशेषाधिकारका उपभोग या प्रयोग करने के बनने के लिए किसी व्यक्ति पर धार्मिक विश्वास या मान्यता के किन्हीं निर्बन्धोंको केवल उन बातोंको छोड़कर जहाँ एसे निर्बन्ध किसी पूर्त दानके लिए शर्तके तं विद्यालयने स्वीकृत किये हों, विश्वविद्यालय के लिए विधिसंगत नहीं होगा।

परंतु यदि सरकारका पूर्वसंमोदन हो तो विश्वविद्यालय मात्र महिलाओंके लि किसी संस्थाको बनाये रख सकता है, संबद्ध कर सकता या मान्यता दे सकता है उ विद्यालय के द्वारा चलाई जानेवाली संस्थाओंमे महिलाओं या शैक्षणिक द्रष्टिसे पि तथा जातियों के सदस्यों के लिए विद्यार्थी के तौरपर प्रवेश सुरक्षित रख सकता है।

विश्वविद्यालयका अध्यापन

७. (१) विश्वविद्यालय की पाठचर्याओं के संबंधमें सभी मान्य अध्यापन वि के अनुसार विश्वविद्यालय के द्वारा संचालित होगा।

(२) पाठचर्याएँ तथा पाठ्यक्रम विनियमों के द्वारा विहित होंगे।

(३) विश्वविद्यालयमें प्रवेश के लिए विद्यार्थीयोंको तैयार कर पाठचर्याओंका संचालन करना या वर्ग चलाना विश्वविद्यालय के लिए विधिसंगत

निरीक्षण तथा जांच

८. (१) सरकारको एसे व्यक्तिद्वारा जिसे वह निदेश दे, विश्वविद्यालय प्रयोगशालाओं, कर्मशालाओं तथा उपकरणोंका और परीक्षा, अध्यापन तथा अन्य विश्वविद्यालयके द्वारा संचालित किया जाता है या जिसे विश्वविद्यालय निरीक्षण करवानेका अधिकार रहेगा। विश्वविद्यालय से संबंधित किसी भी विषय प्रकार जाँच करवानेका भी उसे अधिकार रहेगा। निरीक्षण या जाँच करवाने के सूचना सरकार विश्वविद्यालयको किसी भी अवस्थामें दे सकती है।

(२) इस प्रकार के किसी निरीक्षण या जाँच के परिणाम पर सरकार अपने विचार अधिसभा तथा अभिषद् को सूचित करेगी और उसपर अधिसभा एवम् अभिषद् के मतको जानकर जैसा आवश्यक हो वैसा निदेश विश्वविद्यालयको भेजेगी।

प्रकरण ३

विश्वविद्यालयके पदाधिकारी

९. विश्वविद्यालय के पदाधिकारी निम्नप्रकार होंगे — विश्वविद्यालयके पदाधिकारी

(१) कुलपति

(२) उपकुलपति

(३) महामात्र

(४) ऐसे अन्य पदाधिकारी जो विनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के पदाधिकारी घोषित किये हों।

१०. (१) सौराष्ट्रके राजप्रमुख तत्समय विश्वविद्यालय के कुलपति रहेंगे। — कुलपति

(२) कुलपति, अपने पदके बलपर विश्वविद्यालय के प्रमुख तथा अधिसभा के अध्यक्ष रहेंगे और जब उपस्थित हो तब अधिसभा की सभाओं के तथा विश्वविद्यालय के किसी भी दीक्षान्त समारोह के अध्यक्ष रहेंगे।

(३) कुलपति को ऐसे अन्य अधिकार रहेंगे जो कि इस अधिनियम या नियमों के द्वारा उन्हें प्रदान किये गये हों।

(४) मानार्ह उपाधि अथवा वरेण्यता प्रदान करनेका प्रत्येक प्रस्ताव कुलपति के समनुरूप के अधीन होगा।

११. (१) भारत सरकार, राज्य सरकार तथा समिति के एक एक प्रतिनिधिकी बनी हुई समितिने जिनका नामनिर्देश किया है ऐसे आयुर्वेदमें उच्च वरेण्यता तथा शैक्षणिक योग्यता रखनेवाले तीन वैद्योंकी तालिकामेंसे उपकुलपति की नियुक्ति कुलपति के द्वारा होगी। वे उस अवधि तक तथा उन प्रतिबन्धोंके अधीन रहते हुए इस पदको धारण करेंगे जैसा कि नियमों द्वारा विहित होगा। — उपकुलपति

(२) जब उपकुलपति के पदमें छुट्टी, बीमारी या अन्य कारण से कोई अस्थायी रिक्त स्थान हो जाता है तब ज्येष्ठ विभाग प्रमुख उस स्थान के भरे जाने तक कार्यालय के कर्तव्योंको करता रहेगा।

१२. (१) उपकुलपति विश्वविद्यालय के पूर्णकालिक अधिकारी होंगे। वे विश्वविद्यालय के प्रमुख निष्पादक एवम् शैक्षणिक अधिकारी होंगे और कुलपति की अनुपस्थिति में अधिसभा की सभाओं तथा विश्वविद्यालय के किसी भी दीक्षान्त समारोह के अध्यक्ष रहेंगे। वे अभिषद् के पदासिद्ध सदस्य एवम् सभापति रहेंगे। विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकरण या अन्य निकायकी किसी भी सभामें उपस्थित रहनेका तथा बोलनेका उन्हें अधिकार रहेगा परंतु जब तक वे संबंधित प्राधिकरण या निकाय के सदस्य न हो तब तक उन्हें वहाँ मत देनेका अधिकार नहीं रहेगा। — उपकुलपतिके अधिकार तथा कर्तव्य

(२) यह देखना उपकुलपतिका कर्तव्य होगा कि इस अधिनियम के उपबंधों, नियमों, एवम् विनियमोंका निष्ठापूर्वक पालन होता है और इस कार्य के लिए उन्हें सभी आवश्यक अधिकार रहेंगे।

(३) उपकुलपति को अधिसभा एवम् अभिषदकी बैठकें बुलानेका अधिकार रहेगा। परंतु वे विश्वविद्यालय के किसी अन्य अधिकारी को यह अधिकार सौंप सकते हैं।

(४) (अ) किसी आपातिक स्थितिमें यदि उपकुलपति के मतानुसार शीघ्र कार्यवाही करना आवश्यक हो तो वे आवश्यकतानुसार कार्यवाही करेंगे और उसके पश्चात यथाशीघ्र वे अपनी कार्यवाही उस कार्यालय, प्राधिकरण या अन्य निकायको सूचित करेंगे जिसने सामान्य क्रममें इस विषय के संबंधमे कार्यवाही की होती।

(ब) खंड (अं) के अनुसार उपकुलपतिद्वारा की गई कार्यवाही यदि किसी व्यक्तिको विश्व-विद्यालय की नौकरीमें नुकसान पहुँचाती है तो ऐसे व्यक्ति को जिस तारीखको उस कार्यवाहीकी उसे सूचना दी गई थी उस तारीखसे पन्द्रह दिन के अंदर अभिषद् को पुनरावेदन करनेका अधिकार रहेगा।

(५) विश्वविद्यालय के अधिकारियों तथा अध्यापकोंकी नियुक्ति, वियुक्ति एवम् निलम्बन के संबंधमें अभिषद के आदेशोंको उपकुलपति कार्यान्वित करेंगे और विश्वविद्यालय के कामोंपर सामान्य नियंत्रण रखेंगे। इस अधिनियम के उपबंधों, नियमों एवम् विनियमों के अनुसार विश्व-विद्यालय के अनुशासन के लिए वे उत्तरदायी रहेंगे।

(६) उपकुलपति ऐसे अन्य अधिकारोंका प्रयोग तथा ऐसे अन्य कर्तव्योंका पालन करेंगे जो नियमों एवम् विनियमों द्वारा विहित होंगे।

महामात्र

१३. महामात्र विश्वविद्यालय के पूर्णकालिक अधिकारी होंगे और वे अधिसभा एवम् अभिषद के सचिव के तौर पर काम करेंगे। वे ऐसे अन्य अधिकारोंका प्रयोग एवम् ऐसे अन्य कर्तव्योंका पालन करेंगे जो नियमों एवम् विनियमों द्वारा विहित होंगे।

अन्य अधिकारी

१४. कुलपति, उपकुलपति तथा महामात्रको छोड़कर विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारियों के अधिकार नियमों एवम् विनियमों द्वारा विहित होंगे।

प्रकरण ४

विश्वविद्यालयके प्राधिकारी

विश्वविद्या-लयके प्राधिकारी

१५. विश्वविद्यालय के प्राधिकारी निम्नप्रकार होंगे :–

(१) अधिसभा
(२) अभिषद्
(३) एसे अन्य प्राधिकारी जो विनियमों के द्वारा विश्वविद्यालय के प्राधिकारी घोषित किये गये हों।

१६. अधिसभामें निम्न व्यक्ति रहेंगे अर्थात् :–

वर्ग १–पदसिद्ध सदस्य
(१) कुलपति
(२) समिति के आश्रयदाता
(३) उपकुलपति
(४) देशी चिकित्सा पद्धतिमें केन्द्रीय अनुसंधान के संचालक
(५) महामात्र
(६) प्राध्यापकों एवम् प्रवाचकों के दो प्रतिनिधि तथा
(७) आयुर्वेदमें स्नातकोत्तर पाठचर्या, जामनगर के आचार्य या प्रमुख
(८) आयुर्वेद महाविद्यालय, जामनगर के आचार्य
(९) संबद्ध महाविद्यालयों या संस्थाओं में से प्रत्यक के आचार्य
(१०) ऐसे अन्य पदसिद्ध सदस्य जो नियमों द्वारा विहित होंगे।

वर्ग २–आजीव सदस्य

(१) आयुर्वेद विज्ञानमे वरेण्यता प्राप्त करने के कारण अथवा इस कार्यके लिए श्लाध्य सेवाएँ अर्पित करने के कारण कुलपति के द्वारा आजीव सदस्य के तौरपर नामत: नियुक्त किये गये व्यक्ति तथा

(२) विश्वविद्यालयको या विश्वविद्यालय के कार्य के लिए जिन्होंने कमसे कम एक लाख रुपयेका दान किया है ऐसे सभी व्यक्ति ।

वर्ग ३–सरकार द्वारा नामनिर्देशित अन्य सदस्य :–

(१) आयुर्वेद के संचालक, सौराष्ट्र राज्य ।

(२) आयुर्वेदकी अनुसंधान संस्था, जामनगर के संचालक ।

(३) भारत सरकार के तीन प्रतिनिधि ।

(४) लोकसभा के दो सदस्य–एक भारत सरकार द्वारा चुना हुआ ।

(५) विधानसभा सौराष्ट्र द्वारा अपने सदस्यों में से चुने हुए दो सदस्य ।

(६) जिन्होंने अपने अधिकारमें अधिसभा में प्रतिनिधित्व न पाया हो एसे व्याख्याताओं में से दो प्रतिनिधि ।

(७) समिति द्वारा निर्वाचित समिति के चार सदस्य ।

(८) विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका एक प्रतिनिधि ।

१७. (१) इस अधिनियम के उपबंधोंके अधीन रहते हुए अधिसभा निम्न अधिकारोंका प्रयोग करेगी तथा निम्न कर्तव्योंका पालन करेगी :– अधिसभा के अधिकार एवम् कर्तव्य

(अ) इस अधिनियम या नियमों के अनुसार जिनके लिए अधिसभाकी संमति आवश्यक हों ऐसे अभिषद् द्वारा किये गये विनियमों पर विचार करना, उनमें सुधार करना या उन्हें काट देना,

(ब) विश्वविद्यालय के कल्याणको प्रभावित करनेवाले विषय वार्षिक प्रतिवेदन, वार्षिक लेखा तथा वित्तीय अंदाज से संबंधित प्रस्तावों पर विचार करना तथा उन्हें पारित करना ।

(क) ऐसे अन्य अधिकारोंका प्रयोग करना तथा ऐसे अन्य कर्तव्योंका पालन करना जो इस अधिनियम या नियमों के द्वारा प्रदान किये गये हों या लगाये गये हों ।

(२) उपकुलपति के द्वारा निश्चित की जानेवाली तारीखको सालमें एक बार अधिसभाकी बैठक होगी जो "अधिसभाकी वार्षिक बैठक" कही जायेगी ।

(३) उपकुलपति, जब भी उन्हें उचित लगे तब तथा अधिसभा के कमसे कम पंद्रह सदस्यों के हस्ताक्षर जिसपर हुए हैं एसी लिखित अर्थना के आधार पर अधिसभा की विशेष सभा बुलायेंगे ।

१८. (१) अभिषद् विश्वविद्यालयकी निष्पादक तथा शैक्षणिक निकाय होगी । अभिषद

(२) उसमें सम्मिलित होंगे :–

(अ) उपकुलपति ।

(ब) भारत सरकार के तीन प्रतिनिधि ।

(क) सौराष्ट्र सरकार के दो प्रतिनिधि ।

(ड) समिति के दो प्रतिनिधि।

(इ) विश्वविद्यालय के द्वारा चलाई जानेवाली या उससे संवद्ध संस्थाओं के संचालक तथा आचार्य।

(फ) अधिसभा के द्वारा चुने हुए चार सदस्य। इनमेंसे दो वैद्य होने ही चाहिए और एकको यदि आयुर्वेदिक महाविद्यालयमें उपाधिस्तर के अध्यापनका अनुभव हो तो और भी अच्छा।

(ग) सरकार द्वारा नामनिर्देशित एक वैद्य। महामात्र सचिव के तौरपर काम करेंगे।

(३) अपने विचाराधीन किसी विशेष प्रश्न के लिए अभिषद् कुछ अन्य सदस्योंका विशेषज्ञ के तौर पर सहवरण कर सकती है।

(४) उपकुलपति, प्राध्यापकों, प्रवाचकों तथा महामात्रको छोड़कर उसके अन्य सदस्योंकी पदावधि नियमों द्वारा विहित होगी।

अभिषद्‌के अधिकार तथा कर्तव्य

१६. (१) सरकार के अनुमोदन के अधीन रहते हुए

(१) अधिकारियों तथा अध्यापकोंकी नियुक्ति

(२) आयव्ययक

(३) असाधारण व्यय

(४) पाठचर्याओंका विस्तार तथा

(५) सरकार द्वारा आदेशित अन्य कोई विषय;

ईन वातोंमें अभिषद्–

(अ) नियंत्रण रखेगी, तथा विश्वविद्यालयकी संपत्ति एवम् निधियोंका प्रशासन करेगी।

(ब) विश्वविद्यालयकी सामान्य मुद्राकी आकृति अभिरक्षा एवम् उसके उपयोग के संबंधमें निदेश देगी।

(क) इस अधिनियम के द्वारा उपकुलपतिको प्रदान किय गये अधिकारों के अधीन रहते हुए, इस अधिनियम, नियमों तथा विनियमों के अनुसार विश्वविद्यालयसे संबंधित सभी विषयोंका नियमन एवम् निर्धारण करेगी।

(ड) विशेष उद्दशों के लिए विश्वविद्यालयको सौंपे गये निधियोंका प्रशासन करेगी।

(इ) विश्वविद्यालयकी ओरसे किसी चल या अचल संपत्ति के हस्तान्तरण को स्वीकृत करनेका उसे अधिकार रहेगा।

(फ) इस अधिनियम तथा नियमों के द्वारा अन्यथा उपबंधितको छोड़कर (कुलपति और उपकुलपतिके सिवा) अधिकारियों, अध्यापकों, एवम् अन्य कर्मचारियोंकी नियुक्ति करेगी, उनके कर्तव्यों तथा सेवा-प्रतिबंधोंका निश्चय करेगी तथा उनके पदोंमें होनेवाले अस्थायी रिक्त स्थानोंको भरन के लिए उपबंध करेगी।

(ग) परीक्षकोंकी नियुक्ति करेगी।

(ह) विश्वविद्यालयकी परीक्षाओं के परिणाम प्रकाशित करेगी।

(आई) ऐसे अन्य अधिकारोंका प्रयोग करेगी तथा ऐसे अन्य कर्तव्योंका पालन करेगी जो इस अधिनियम, नियमों या विनियमों के द्वारा उसको प्रदान किये गये हों या उसपर लगाय गये हों तथा

(ज) इस अधिनियम, नियमों या विनियमों द्वारा अन्यथा उपबंधित न हुए हों ऐसे विश्वविद्यालय के अन्य सभी अधिकारोंका प्रयोग करेगी।

(२) उपधारा (१) के खंड (ब) (इ) (फ) तथा (ग) के लिए किये गये कोई विनियम या ऐसे अन्य विनियम जो नियमों द्वारा इस प्रकार विहित होंगे, अधिसभा के अनुमोदन के अधीन रहेंगे।

(३) सभी शैक्षणिक विषयोंका पूर्ण एवम् अविभक्त उत्तरदायित्व अभिषद्का रहेगा।

२०. (१) अनुसंधानमंडल, प्रवरण-मंडल तथा ऐसे अन्य मंडल जो नियमों द्वारा विहित हों, विश्वविद्यालय स्थापित करेगा। विश्वविद्यालय मंडल

(२) उपधारा (१) के अनुसार स्थापित मंडलों के संविधान, अधिकार तथा कर्तव्य, जैसे कि विनियमों द्वारा विहित होंगे, रहेंगे।

प्रकरण ५

नियम तथा विनियम

२१. इस अधिनियमके उद्देश्योंको कार्यान्वित करनेलिये. सरकारके अनुमोदनसे, अभिषद् नियम बना सकती है। नियम

२२ इस अधिनियम तथा इन नियमोंके उपबंधोंके अधिन रहते हुअे, इस अधिनियम तथा इन नियमोंके उद्देश्योंको कार्यान्वित करनेके लिअे अभिषद कोई भी विनियम बना सकती है। विनियम

प्रकरण ६

संबन्धन तथा मान्यता

२३. (१) विश्वविद्यालयके साथ संबन्धनके लिए आवेदन देनेवाला (अर्जी करनेवाला) महाविद्यालय महामात्रको आवेदनपत्र भेजेगा तथा अभिषदका निम्नविषयोंमें समाधान करेगा :—

(अे) जहां महाविद्यालय स्थापित होनवाला है उस स्थानकी उपयुक्तताके संबंधमें आवश्यकताकी पूर्ति महाविद्यालय करेगा।

(बी) महाविद्यालय नियमित रुपसे संस्थापित शासी-निकायके प्रबन्धके नीचे रहेगा।

(सी) अध्यापकोंकी संख्या, उनकी योग्यताअें अेयम् उनकी पदावधि नियंत्रित करनेवाली शर्तें अैसी हों कि जिनसे महाविद्यालयके द्वारा उपक्रमित पढ़ाई, अध्यापन या प्रशिक्षनकी पाठचर्याओका उचित प्रबंध हो सके।

(डी) महाविद्यालय जिनमें अवस्थित होनेवाला हो वे इमारतें उपयुक्त हों तथा अपने मातापिता या अभिभावकोंके साथ न रहनेवाले विद्यार्थियोंके, महाविद्यालयमें निवासके लिये एवम् विद्यार्थियोंके पर्यवेक्षण तथा कल्याणके लियें विनियमोंके अनुसार प्रबंध किया जायगा।

(इ) पुस्तकालयके लिए उचित प्रबन्ध किया गया है या किया जायगा।

(अेफ) जैसे परिस्थितियाँ अनुज्ञा देगी, आचार्य अेवम् अध्यापकोंमेंसे कुछके निवासके लिअे महाविद्यालयमें या महाविद्यालयके पास या विद्यार्थीयोंके निवासस्थानके पास उचित प्रबन्ध किया जायगा ।

(जी) महाविद्यालयके वित्तीय संसाधन अैसे हों कि वे उसकी संतत व्यवस्था तथा उसके दक्ष कार्यवहनके लिअे उचित प्रबन्ध कर सके ।

(अेच) विद्यार्थीयों द्वारा दिया जानेवाला शुल्क (यदि कुछ हो) निर्धारित करनेके महाविद्यालयके नियम इस प्रकार न बने हुअे हों कि उनमें उसी प्रतिवेशमें चलनेवाले किसी महाविद्यालयके साथ अैसी स्पर्धा संनिहित हो जो शिक्षाके हितके लिए हानिकारक हो ।

(आइ) आवेदनपत्रमें और भी अेक आश्वासन समाविष्ट होगा कि महाविद्यालयके संबद्ध हो जानेपर व्यवस्थाका कोई हस्तान्तरण तथा अध्यापकोमें किये गये परिवर्तन अेवम् अन्य सभी परिवर्तन जिनके परिणामस्वरुप पूर्वोक्त आवश्यकताओंमेंसे कोई पूर्ण न होती हो या उनका पूर्ण होना जारी रहता हो, अभिषदको शीघ्र सूचित किये जायेंगे ।

(२) उपधारा (१) के अनुसार आवेदनपत्र मिलने पर अभिषद :—

(अ) इस संबंधमें उपधारा (१) में उल्लिखित विषयोंके बारेमें तथा अैसे अन्य विषयों, जो आवश्यक अेवम् संगत माने जाय, के संबंधमें अभिषदके द्वारा अधिकृत सक्षम व्यक्ति या व्यक्तियोंको स्थानीय पूछताछ करनेका आदेश देगी ।

(बी) आगे और अैसी पूछताछ करेगी जो आवश्यक प्रतीत हो ।

(सी) इस प्रश्नपर अपन मतका अभिलेखन करेगी तथा अभिसभाको प्रतिवेदन देगी कि आवेदनपत्र स्वीकृत करना चाहिअे या अस्वीकृत पूर्णरुपसे या अंशतः । अैसे प्रतिवेदनमें वह खंड (अे) और (बी) के अनुसार की गई किसी पूछताछके परिणाम तथा इस खंडके नीचे अभिलिखित मतकोभी सम्मिलित करेगी ।

(३) आवेदनपत्र तथा उससे संबंधित अभिषद् अेवम् अधिसभाकी सब कार्यवाही महामात्र सरकारके समक्ष प्रस्तुत करेंगे । सरकार अैसी पूछताछके पश्चात, जो उसे आवश्यक प्रतीत हो, आवेदनपत्र को या उसके किसी अंशको स्वीकृत या अस्वीकृत करेगी ।

(४) जहाँ आवेदनपत्र या उसका कोई अंश स्वीकृत किया गया हो वहाँ सरकारका आदेश पढाईकी उन पाठचर्याओंको निर्दिष्ट करेगा जिनके लिअे महाविद्यालय संबद्ध हुआ हो और जहाँ आवेदनपत्र या उसका कोई अंश अस्वीकृत किया गया हो वहाँ अैसी अस्वीकृतिके कारण देगा ।

(५) सरकारके आदेशके पश्चात यथाशीघ्र महामात्र आवेदनपत्र, उपधारा (२) से के नीचे उस परकी गई कार्यवाही तथा उससे संबद्ध सभी कार्यवाही का पूर्ण प्रतिवेदन अधिसभाके समक्ष प्रस्तुत करेंगे ।

(६) उपधारा (१) के नीचे किया गया आवेदनपत्र उपधारा (३) के नीचे आदेश दिये जानेसे पहले कभी भी पीछे लिया जा सकता है ।

२४. पढ़ाईकी जिन पाठचर्याओंके लिए महाविद्यालयको संवंधन मिला है उनमें बढावा करनेकी उसकी इच्छा हो तो जहाँ तक हो सके धारा (२३) के द्वारा विहित कार्यप्रणालीका अनुसरण किया जायेगा । **संबंधनका विस्तार**

२५. (१) महाविद्यालयको छोडकर किसी भी अनुसंधान या विशिष्ट अध्ययनकी संस्थाको मान्यता-प्राप्त संस्थाके तौरपर मान्यता देनका अधिकार, **अनुसंधान तथा विशिष्ट अध्ययनकी संस्थाको मान्यता**

(२) इस धाराके नीचे मान्यताके लिए अर्जी करनेवाली संस्था महामात्रको आवेदनपत्र भेजेगी तथा उस आवेदनपत्रमें निम्न विषयोंके संबंधमें पूर्ण जानकारी देगी, अर्थात :—

(अे) संविधान, तथा प्रबंध-निकाय के सेवि-वर्ग ;

(बी) विषय तथा पाठचर्याएं जिनके संबंधमें इस प्रकारकी मान्यता चाही गई है ।

(सी) निवास, उपकरण तथा विद्यार्थीयोंकी संख्या जिसके लिअे प्रबन्ध किया गया है या करनेका प्रस्थापित हुआ है ।

(डी) कर्मचारियोंकी संख्या, उनकी योग्यताएं तथा वेतन और उनके द्वारा किया गया अनुसंधान कार्य ।

(इ) लगाया गया शुल्क या लगाया जानेवाला प्रस्थापित शुल्क तथा इमारतों और उपकरणोंपर होनेवाले पूंजीव्ययके लिए अेवम् संस्थाके संतत संधारणके लिए तथा दक्ष कार्यवहनके लिए वित्तीय प्रबंध ।

२७. (१) यदि महाविद्यालय धारा २३ की उपधारा (१) के उपबंधोमेंसे किसीका पालन करनमें चूका हो, या अपने संबंधनकी शर्तोका पालन करनेमें चूका हो अथवा वह इस प्रकार संचालित हो कि जो शिक्षाके हितके प्रतिकूल हो तो संबंधनके कारण महाविद्यालयको प्रदान किये गये अधिकार पूर्णत : या अंशत : वापस लिये जा सकते हैं या आपरिवर्तित किये जा सकते हैं । **संबंधनको निकाल लेना**

(२) अैसे अधिकारोंको वापस लेने या आपरिवर्तित करनेका प्रस्ताव केवल अभिषदमें ही उपक्रमित किया जायगा । अैसे प्रस्तावको प्रस्तुत करनेकी इच्छा रखनेवाले अभिषदके सदस्य इस बातकी सूचना देंगे तथा जिन कारणोंके आधारपर प्रस्ताव किया जा रहा है उन्हे लिखित रुपमें प्रस्तुत करेंगे ।

(३) उक्त प्रस्ताव पर विचार करनेसे पहले अभिषद उस सूचनाकी अेक प्रतिलिपी तथा उपधारा (२) में उल्लिखित लिखित कथन संबंधित महाविद्यालयके आचार्यको भेजेगी इसके साथ यह सूचना भी भेजेगी कि अैसी सूचनामें निर्दिष्ट की गई अवधि के अंदर महाविद्यालयकी ओरसे यदि कोई लिखित निरूपण प्रस्तुत किया जायगा तो उसपर भी अभिषद् विचार करेगी ।

परंतु यदि आवश्यक हो तो इस प्रकार निर्दिष्ट की गई अवधि अभिषदके द्वारा बढ़ाई जा सकती है ।

(४) इस निरुपणके मिलने पर या उपधारा (३) में उल्लिखित अवधिकी समाप्ति पर आभिषद् प्रस्तावकी सूचना कथन तथा निरूपण पर विचार कर अेवम् इस संवंधमें अभिषद्द्वारा अधिकृत किसी सक्षम व्यक्ति या व्यक्तियोंद्वारा निरीक्षणके पश्चात् तथा अैसी और पूछताछके पश्चात जो उसे आवश्यक लगे अधिसभाको प्रतिवेदन करेगी ।

(५) उपधारा (४) के नीचे किये गये प्रतिवेदनके प्राप्त होने पर अधिसभा, यदि उसे अैसी कोई और पूछताछ आवश्यक लगे तो उसके पश्चात इस संवंधमें अपना मत अभिलिखित करेगी।

परंतु संबंधनको वापस लेनेकी सिफारिश करनेवाला अधिसभाका संकल्प तव तक उसके द्वारा पारित नहीं माना जायगा जव तक अधिसभाकी बैठकमें उपस्थित सदस्योंमेंसे दो तिहाई सदस्योंका समर्थन उसे न प्राप्त हो । यह बहुमति अधिसभाके सदस्योंकी संख्याके अेक द्वितीयांशसे कम नहीं होनी चाहिअे ।

(६) प्रस्ताव तथा उससे संवंधित अभिषद अेवम् अधिसभाकी सारी कार्यवाही महामात्र सरकारको प्रस्तुत करेंगे । सरकार यदि उसे अैसी कोई और पूछताछ आवश्यक लगे तो उसके पश्चात अैसा आदेश देगी जो उसे उचित लगे ।

(७) जहाँ उपधारा (६) के नीचे दिये हुअे आदेशके द्वारा संवंधनके परिनामस्वरुप दिये गये अधिकार पूर्णत : या अंशत: वापस किये जाय या आपरिवर्तित किये जाय वहाँ अैसे वापस लेने या आपरिवर्तित करनेके कारण आदेशमें बताये जायेंगे ।

मान्यताको वापस लेना

२८. (१) यदि संस्था अपनी मान्यता की शर्तोमेंसे किसी का पालन करनेंमे चूकी हो, या वह इस प्रकार संचालित हो कि जो शिक्षाके हितके प्रतिकूल हो तो मान्यताके कारण उस संस्थाको प्रदान किये गये अधिकार वापस लिये जा सकते हैं या चाहे जितनी अवधि तक निलंबित किये जा सकते हैं ।

(२) अैसे वापस लेने या निलंबित करनेका प्रस्ताव केवल अभिषदमें ही उपक्रमित किया जायगा । अैसे प्रस्तावको प्रस्तुत करनेकी इच्छा रखनेवाला अभिषदका सदस्य इस वातकी सूचना देना तथा जिन कारणोंके आधारपर प्रस्ताव किया जा रहा है उन्हें लिखित रूपमें बतायेगा ।

(३) उक्त प्रस्ताव पर विचार करनेसे पहले अभिषद् उस सूचना की अेक प्रतिलिपि तथा उपधारा (२) में उल्लिखित लिखित कथन, संबंधित संस्थाके प्रमुखको भेजेगी । इसके साथ यह सूचना भी भेजेगी कि अैसी सूचनामें निर्दिष्ट की गई अवधिके अंदर संस्थाकी ओरसे यदि कोई लिखित निरूपण प्रस्तुत किया जायगा तो उसपर भी अभिषद् विचार करेगी ।

परंतु यदि आवश्यक हो तो इस प्रकार निर्दिष्ट की गई अवधि अभिषद्के द्वारा वढ़ाई जा सकती है ।

(४) इस निरूपण के मिलनेपर या उपधारा (३)में उल्लिखित अवधिकी समाप्ति पर अभिषद् प्रस्तावकी सूचना, कथन तथा निरूपण पर विचार कर एवम् इस संवंधमें अभिषद् के द्वारा अधिकृत किसी सक्षम व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण के पश्चात् तथा ऐसी और पूछताछ के पश्चात् जो उसे आवश्यक लगे, अधिसभाको प्रतिवेदन करेगी । यदि अभिषद् निर्णय करती है कि मान्यता वापस ली जाय या निलंबित की जाय तो जव तक इससे संवंधित संकल्प अभिषद्की बैठकमें उपस्थित सदस्योंमेंसे कममें कम दो तिहाई सदस्यों द्वारा समर्थित न हो तब तक मान्यता वापस लेने या निलंबित करनके लिए प्रतिवेदन नहीं किया जायगा ।

(५) उपधारा (४) के नीचे किये गये प्रतिवेदन के प्राप्त होनेपर अधिसभा, यदि उसे ऐसी कोई और पूछताछ आवश्यक लगे तो उसके पश्चात् यथा प्रसंग निर्णय करेगी कि मान्यता वापस ली जाय या निलंबित की जाय ।

परंतु यह मान्यता तब तक वापस नहीं ली जायगी या निलंबित नहीं की जायगी जब तक इस संबंधमें अधिसभाका संकल्प अधिसभाकी बैठकमें उपस्थित सदस्योंमें से कमसे कम दो तिहाई सदस्योंकी बहुमति के द्वारा समर्थित न हो। यह बहुमति अधिसभा के सदस्योंकी संख्या के एक-द्वितियांशसे कम नहीं होनी चाहिये।

प्रकरण ७

उपलब्धि तथा विद्योपाधियाँ

निवास

२९. विश्वविद्यालयका प्रत्येक विद्यार्थी छात्रावासमें रहेगा या ऐसे प्रतिबंधोंमें रहेगा कि जो विनियम द्वारा विहित हों।

विद्योपाधियाँ उपाधियाँपत्रोपाधियाँ तथा अन्य शैक्षणिक वरेण्यताऐं

३०. अधिसभा ऐसी विद्योपाधियाँ, उपाधियाँ, पत्रोपाधियाँ तथा अन्य शैक्षणिक वरेण्यताएँ जो कि विनियमों द्वारा विहित हों, स्थापित या प्रदान कर सकती है।

विश्वविद्यालयकी पाठचर्या के लिए प्रवेश/परीक्षा

३१. विद्यार्थीयोंको नियमों या विनियमों के अनुसार विश्वविद्यालय में प्रवेश दिया जायेगा।

३२. परीक्षाओं के संचालनके सभी प्रबंध अभिषद् के द्वारा इस प्रकार किये जायगे जो इस अधिनियम या विनियमोंके द्वारा विहित हों।

मानर्ह विद्योपाधियाँ

३३. यदि अभिषद् के सदस्योंमेंसे कमसे कम दो तिहाई सदस्य सिफारिश करते हैं कि किसी व्यक्ति के लब्धप्रतिष्ठपद तथा योग्यता प्राप्ति के कारण उनके मतानुसार मानार्ह विद्योपाधि, उपाधि या अन्य शैक्षणिक वरेण्यता प्राप्त करने के लिए उसके योग्य एवम् उचित व्यक्ति होनेके कारण उसे वह विद्योपाधि, उपाधि या अन्य शैक्षणिक वरेण्यता प्रदान की जाय तथा जहाँ उनकी सिफारिश अधिसभाकी बैठक में उपस्थित सदस्योंकी कमसे कम दो तिहाई बहुमति द्वारा समर्थित हो एवम् ऐसी बहुमति अधिसभा के सदस्योंकी संख्या के एक द्वितियांश से कम न हो और इस सिफारिशकी यदि कुलपति द्वारा पुष्टि की जाय तो अधिसभा उस व्यक्ति को किसी भी परीक्षामें बैठे बीना ही वह मानार्ह विद्योपाधि, उपाधि या अन्य शैक्षणिक वरेण्यता जिसकी उक्त प्रकार सिफारिश की गई है, प्रदान कर सकती है।

विश्वविद्यालयकी सदस्यतासे हटाना, तथा विद्योपाधि या पत्रोपाधिको वापस लेना

३४. (१) यदि कोई व्यक्ति न्यायालय के द्वारा किसी अपराधके लिए दोषी सिद्ध हुआ हो और यह अपराध अभिषद् तथा अधिसभाकी रायमें ऐसा गंभीर हो कि जिसमें नैतिक हीनता अंतर्भूत हो या यदि वह व्यक्ति कलंकात्मक आचरणका अपराधी हो तो अभिषद् तथा अधिसभाकी सिफारिशपर कुलपति उस व्यक्तिका नाम स्नातकोंकी पञ्जीसे हटा सकते हैं या उसकी पत्रोपाधि या विद्योपाधि वापस ले सकते हैं परंतु यह सिफ़ारिश प्रत्येक निकायकी बैठकमें उपस्थित सदस्योंकी कमसे कम दो तिहाई बहुमति द्वारा समर्थित हो तथा यह बहुमति प्रत्येक निकायके सदस्योंकी संख्याके कमसे कम एक-द्वितीयांश हो।

(२) इस धारा के नीचे तब तक कोई कार्रवाई नहीं की जायेगी जब तक सबंधित व्य॰ को अपने अपराधके बारेमें कहने के लिए अवकाश न दिया जाय। अवकाश देनकी पद्धति निम्नांकित के द्वारा बिहित होगी।

(१) विद्योपाधि, पक्की करना या वापस लेना।
(२) सेवाप्रतिबंध।
(३) विश्वविद्यालय निधि।
(४) परिनियमों में अन्य वृद्धियाँ।
(५) पञ्जीयित स्नातक।
(६) इस विधेयकका पाँचवाँ प्रकरण।
(७) विश्वविद्यालयका निकाय।
(८) अनुसंधान तथा मानार्ह विद्योपाधियाँ।
(९) अध्ययनकी शाखाएँ तथा पाठचर्याएँ इत्यादि।

प्रकरण ८

वित्त व्यवस्था

विश्वविद्यालय तथा निधि

३५. (१) विश्वविद्यालय निधि नामक एक निधि विश्वविद्यालय स्थापित करेगा।

(२) निम्न बातें विश्वविद्यालय निधिकी अंशभूत होंगी या विश्वविद्यालय निधिमें दी जायेंगी।

(अ) सरकार के द्वारा दिया गया कोई अंशदान या अनुदान।

(ब) सभी स्त्रोतोंसे विश्वविद्यालयकी आय जिसमें शुल्क तथा प्रभारकी आय अन्तर्भूत होगी।

(क) प्ररिक्थदान, दान, स्थायी निधि तथा अन्य अनुदान, यदि कुछ हो।

(३) भारत–संचिति–अधिकोष अधिनियम १९३४में परिभाषित किसी अनुसूचित अधिकोषमें विश्वविद्यालय निधि रखा जायगा या अभिषद् के विवेकानुसार भारतीय-न्यास अधिनियमके द्वारा अधिकृत प्रतिभूतियोंमें नियोजित किया जायगा।

विश्वविद्यालय के निधियोंका नियंत्रण

३६. (१) इस अधिनियम तथा नियमों एवम् विनियमों के उपबंधोंके अधीन रहते हुए विश्वविद्यालय निधिकी संपत्ति तथा उसके नियोजनों के प्रबंधके लीये उपकुलपति उत्तरदायी होंगे। वार्षिक अंदाज के उपस्थापन तथा लेखाविवरण के लिए भी वे उत्तरदायी होंगे।

(२) सरकारद्वारा नियुक्त लेखा-परीक्षक विश्वविद्यालयकी लेखाकी लेखा परीक्षा करेंगे तथा उपकुलपति एवम् सरकारको प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे। जिन कामों के लिए पैसे दिये जाते हैं या सौंपे जाते हैं उन्हीं के लिए वे सब खर्च किये जाते हैं या नहीं तथा लेखा उचीत रुपसे रखी जाती है या नहीं यह देखने के लिए, सरकार के द्वारा नियमानुसार नियुक्त किया गया लेखा अधिकारी उत्तरदायी होगा।

(३) प्रत्यक संविदा उपकुलपति या उनकी ओरसे उनके द्वारा अधिकृत किये गये व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित होगी।

परिशिष्ट ३

अलग आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय बनानेकी आवश्यकता तथा उसकी जरूरतको जाँचने के लिए स्वास्थ्य और उद्योगविभाग के प्रस्ताव क्रमांक ए.डी.आर. १९६३-११०३-क्यु, ता. १३ फरवरी १९६४ के अनुसार गुजरात सरकार द्वारा नियुक्त की गई समितिने अलग विश्वविद्यालयकी आवश्यकता और उसकी आनुषंगिक बाबतों के संबंधमें गुजरात के तथा गुजरात के बाहर के इस विद्या-शाखा के विद्वानों आदि के अभिप्राय जानने के लिए गुजराती और हिन्दीमें एक प्रश्नोत्तरी, जैसी कि इसके साथ बताई गई है, प्रकाशित की थी और आयुर्वेद महाविद्यालयों के प्राध्यापकों, अध्यापकों, विद्वान वैद्यवर्यों और आयुर्वेद के हितचिंतकों को उनके अभिप्राय बतान के लिए भेज दी गई थी।

परिशिष्ट ४

गुजरात सरकार के स्वास्थ्य और उद्योग विभाग के प्रस्ताव क्रमांक ए.डी.आर. १९६३-११०३-क्यु, तारीख १३-२-६४के अनुसार अलग आयुर्वेदिक विश्वविद्यालयकी स्थापना के संबंधमें जरूरत और आवश्यकता के बारेमें विचार करने के लिए निम्न सदस्योंकी एक समिति नियुक्त की गई है।

१. श्री ईश्वरभाई जे. पटेल उपकुलपति, सरदार वल्लभभाई विद्यापीठ,	प्रमुख
२. श्री देवेन्द्रभाई मो. देसाई, अहमदाबाद	सदस्य
३. वैद्यरत्न पंडित शिव शर्मा, बम्बई	सदस्य
४. डॉ. प्राणजीवनदास एम्. महेता, जामनगर	सदस्य
५. वैद्य श्री रसिकलाल जे. परीख, अहमदाबाद,	सदस्य
६. वैद्य श्री चंद्रशेखर जी. ठक्कुर, बम्बई	सदस्य
७. वैद्य श्री सोमाभाई ई. पटेल, अहमदाबाद	सदस्य

गुजरात राज्य के आयुर्वेद विभाग के संचालक इस समिति के निमंत्रक रहेंगे।

राज्य के अलग अलग स्थानोंमें स्थित आयुर्वेदीक महाविधालयों के अध्यापक, स्थान स्थान के वैद्यमंडल, ख्यातनाम वैद्यवर आदि के आयुर्वेद के अलग विश्वविद्यालयकी रचना एवम् आवश्यकता के संबंधमें विचार जानने के लिए समिति के सदस्योंने अलग अलग स्थानोंकी मुलाकात ली थी जिसके बारेमें जानकारी निम्नप्रकार है।

स्थान १	तारीख २	मुलाकात के स्थान ३	मिलनेवाले व्यक्ति ४
सुरत	११-३-६४	(१) आयुर्वेद महाविद्यालय, सुरत (२) आयुर्वेद अस्पताल, सुरत (३) तापी ब्रह्मचर्य आश्रम संचालित आयुर्वेदिक फार्मसी, सुरत.	(१) आचार्य, आयुर्वेद महाविद्यालय सुरत. (२) प्रमुख, तापी ब्रह्मचर्य आश्रम सुरत. (३) आयुर्वेद महाविद्यालयका अध्यापक वर्ग (४) आयुर्वेद महाविद्यालय के विद्यार्थी (५) सूरतके प्रतिष्ठित वैद्यवर्य

स्थान १	तारीख २	मुलाकात के स्थान ३	मिलनेवाले व्यक्ति ४
बड़ौदा	१२-३-६४	(१) श्री आर्यकन्या शुद्ध आयुर्वेद विद्यालय (२) आयुर्वेद अनुसंधान केन्द्र (मेडिकल कॉलेजके साथ संलग्न) (३) शुद्ध आयुर्वेद महाविद्यालय	(१) आर्यकन्या शुद्ध आयुर्वेद विद्यालयके अध्यापकगण और विद्यार्थीनियाँ (२) आयुर्वेद अनुसंधान केन्द्र के संचालक (३) शुद्ध आयुर्वेद महाविद्यालय के अध्यापक गण और विद्यार्थी (४) बडौदा शहर नगरपालिकाके नगरपति और अन्य लगभग पचास नागरिक
नडियाद	१२-३-६४	(१) आयुर्वेद विद्यालय, नडियाद	(१) आयुर्वेद विद्यालयके अध्यापक और विद्यार्थी (२) आयुर्वेद विद्यालयके संचालन मंडल के प्रतिनिधि तथा डॉक्टर (लगभग सात)
जामनगर	१९ और २० अप्रैल, १९६४	(१) आयुर्वेद महाविद्यालय (२) आयुर्वेद • महाविद्यालय से संलग्न रुग्णालय (३) पुस्तकालय (४) अनुस्नातक संस्था (५) सोलेरियम (सूर्यग्रह)	(१) आयुर्वेद महाविद्यालयका अध्यापकवर्ग (२) जामनगर वैद्यसभाके लगभग पचास सदस्य (३) जामनगर जिला पंचायतके प्रमुख (४) अनुस्नातक वर्गके विद्यार्थी, प्राध्यापक तथा आयुर्वेदज्ञ–लगभग १५० (५) नामदार साहब

जामनगर वैद्यसभा तथा आयुर्वेद महाविद्यालय के श्री त्रिवेदीजी की ओरसे समितिको आवेदनपत्र दिये गये थे जिनमें आयुर्वेद विश्वविद्यालयकी आवश्यकता और जरूरत के संबंधमें तथा आयुर्वेदके अलग अलग अंगों एवम् आयुर्वेद शास्त्रकी शाखा–विशाखाओंके संबंधमें ब्योरेवार जानकारी बताई गई थी।

भावनगर	९-५-६४	सेठ जी. प्र. आयुर्वेद विद्यालय	(१) आयुर्वेद विद्यालयका अध्यापक वर्ग और विद्यार्थी (२) जिला वैद्य मंडलके सदस्य (३) भावनगर के प्रतिष्ठित नागरिक डॉक्टर, वकील और भावनगर के नगरपति

स्थान १	तारीख २	मुलाकात के स्थान ३	मिलनेवाले व्यक्ति ४
पोरबंदर	१०-५-६४	आयुर्वेद विद्यालय, पोरबंदर	(१) पोरबंदर आयुर्वेद विद्यालय का अध्यापक वर्ग और विद्यार्थी (२) वकीलों, उद्योगपतिओं, आयुर्वेदज्ञों और डॉक्टरोंका एक मंडल समितिसे मिला। (३) प्रजा समाजवादी पक्षके कार्यकर्ताओंका एक मंडल भी समितिसे मिला
गोंडल	११-५-६४	श्री रसशाला औषधाश्रम फार्मसी, गोंडल.	स्वामी श्री चरणतीर्थजी महाराज
राजकोट	११-५-६४	राजकोट वैद्य सभा	( ) राजकोट जिला वैद्य सभा के सदस्य
अहमदाबाद	१९-५-६४	शुद्ध आयुर्वेद महाविद्यालय, अहमदाबाद	(१) शुद्ध आयुर्वेद महाविद्यालयका अध्यापकवर्ग (२) अहमदाबाद वैद्यसभाके सदस्य (३) गुजरात शुद्ध आयुर्वेद मंडल के लगभग ३० सदस्य समिति से मिले।

परिशिष्ट ५

अलग आयुर्वेदिक विश्वविद्यालयकी रचनाकी आवश्यकता और जरूरत के संबंधमें जाँच करने के लिए गुजरात सरकारने स्वास्थ्य और उद्योग विभाग के प्रस्ताव क्रमांक ए.डी.आर. १९६३-११०३-क्यू, ता. १३-२-६४ के अनुसार बनी हुई समितिकी, इस संबंधमें चर्चा करने के लिए निम्न प्रकार वैठके हुई थीं।

१.	ता. २२-२-१९६४	अहमदाबाद
२.	ता. २९-२-१९६४	अहमदाबाद
३.	ता. ८-३-१९६४	अहमदाबाद
४.	ता. ८-७-१९६४	अहमदाबाद
५.	ता. २४-७-१९६४ ता. २५-७-१९६४	बम्बई बम्बई
६.	ता. १७-९-१९६४	अहमदाबाद
७.	ता. २३-९-१९६४	अहमदाबाद

शासन मुद्रणालय-राजकोट.

T9(LA)4.2318.N6[
K4
106503